



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 606 राँची, सोमवार,

16 अग्रहायण, 1942 (श०)

07 दिसम्बर, 2020 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

03 दिसम्बर, 2020

संख्या-एल0जी0-02/2020-387/लेज0-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-19/11/2020 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) परिषद् अधिनियम , 2020

(झारखण्ड अधिनियम संख्या-09, 2020)

फिजियोथेरेपी या भौतिक चिकित्सा आधुनिक स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट (भौतिक चिकित्सक) द्वारा केवल भौतिक विधियों से ईलाज किया जाता है, जैसे कि अल्ट्रासाउण्ड, ऊष्मा, लेजर, व्यायाम इत्यादि।

पोलियो अस्पतालों, कुष्ठ इकाई अस्पताल, टी.बी. अस्पतालों और जिला अस्पतालों में फिजियोथेरेपी चिकित्सक द्वारा भौतिक चिकित्सा तथा पुनर्वास का काम संपन्न किया जाता है। भौतिक चिकित्सक द्वारा कई अस्पतालों के आई.सी.यू में चिकित्सा प्राप्त कर रहे सामान्य मरीजों के साथ-साथ शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग मरीजों की फिजियोथेरेपी (भौतिक चिकित्सा) और पुनर्वास (रिहैबलिटेशन) का कार्य सम्पन्न किया जाता है।

फिजियोथेरेपी (भौतिक चिकित्सा) द्वारा आर्थोपेडिक समस्याओं, जैसे कुष्ठ, टी०बी०, पोलियो, आघात और अन्य कई गैरसंचारी रोगों का ईलाज किया जाता है। अस्पताल के आई.सी.यू की कल्पना बिना फिजियोथेरेपिस्ट (भौतिक चिकित्सक) के नहीं की जा सकती है।

फिजियोथेरेपी (भौतिक चिकित्सा) की शिक्षा में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिये स्नातक डिग्री हेतु 4 साल और 6 महीना एवं स्नातकोत्तर डिग्री हेतु 2 सालों की पढ़ाई अपेक्षित है, जैसे कि:-

1. हड्डीरोग भौतिक चिकित्सा (आर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी)
2. नस रोग संबंधी (न्यूरो आघातद्विजियोथेरेपी),
3. हृदय एवं फेफड़ा रोग भौतिक चिकित्सा (कार्डियो पलमोनरी आइ०सी०यू० फिजियोथेरेपी)
4. खेलसंबंधी भौतिक चिकित्सा (स्पोर्ट फिजियोथेरेपी)
5. स्त्रीरोग भौतिक चिकित्सा (गाइनोकोलाॅजिकल फिजियोथेरेपी)
6. मूत्ररोग भौतिक चिकित्सा (यूरोलाॅजिकल फिजियोथेरेपी)
7. समुदाय आधारित भौतिक चिकित्सा (कम्युनिटी बेस्ड फिजियोथेरेपी)
8. बाँहसंबंधी रोग (हैंड फिजियोथेरेपी)
9. शिशुरोग भौतिक चिकित्सा (पीडीयाट्रिक फिजियोथेरेपी)
10. जरारोग भौतिक चिकित्सा (जिरीयाट्रिक फिजियोथेरेपी)।

राज्य में फिजियोथेरेपी पेशे को विनियमित करने के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है। इसलिये:-

फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में समन्वय और शिक्षा के मानकों के निर्धारण, प्रैक्टिस, भौतिक चिकित्सकों के पंजी के संधारण, राज्य में फर्जी भौतिक चिकित्सालयों अथवा केन्द्रों एवं फर्जी भौतिक चिकित्सकों की रोकथाम तथा इससे जुड़े अन्य प्रासंगिक एवं आकस्मिक मामलों के निपटान के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य में फिजियोथेरेपी परिषद् (Physiotherapy Council) के गठन हेतु अधिनियम।

झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) परिषद अधिनियम, 2020

अध्याय - 1

प्रारंभिक

- 1 संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और विस्तार।
- 2 परिभाषायें

अध्याय - 2

परिषद का गठन

- 3 परिषद का गठन और समावेश:-
- 4 कार्यकाल
- 5 आकस्मिक रिक्तियाँ
- 6 पदत्याग
- 7 अनर्हता
- 8 परिषद की बैठक
- 9 बैठक की कार्यवाही
- 10 कार्यकारी समिति और अन्य समितियाँ
- 11 तुल्यता और पंजीकरण समिति
- 12 परिषद के सदस्यों, कार्यकारी समिति, तुल्यता और पंजीकरण समिति के सदस्यों के शुल्क और भत्ते
- 13 परिषद की आय और व्यय
- 14 रजिस्ट्रार की नियुक्ति, उसके कृत्य एवं कर्तव्य
- 15 परिषद के अन्य कर्मचारीगण

अध्याय - 3

परिषद के कार्य

- 16 परिषद के कार्य, कर्तव्य और अधिकार
- 17 नए संस्थानों की स्थापना, नए पाठ्यक्रम आदि के लिए अनुमति
- 18 कतिपय मामलों में अर्हताओं की अमान्यता
- 19 कतिपय विद्यमान संस्थानों के लिए अनुमति लेने का समय
- 20 भारत या विदेश में पेशेवर भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) को विश्वविद्यालयों आदि द्वारा प्रदान की गई मान्यताप्राप्त उपाधियों की पहचान
- 21 मान्यता का प्रभाव
- 22 अध्ययन प्रशिक्षण और परीक्षा के पाठ्यक्रम की जानकारी का अधिकार
- 23 निरीक्षण
- 24 मान्यता वापस लेना
- 25 पेशेवर आचार
- 26 जानकारी का प्रस्तुतिकर

अध्याय - 4**रजिस्टर बनाना और उसका संधारण**

- 27 रजिस्टर को बनाना
 28 रजिस्टर से नाम हटाना
 29 रजिस्टर से नाम हटाने के खिलाफ अपील करना
 30 पंजीकृत सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार।

अध्याय - 5**अपराध और दंड**

- 31 अनधिकृत व्यक्ति द्वारा पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा, लाइसेंस आदि जारी करना या प्रदान करना
 32 धारा 31 के उप-धारा 1 के प्रावधानों के उल्लंघन पर शास्ति
 33 अपराध का संज्ञान
 34 उपाधि का दुरुपयोग
 35 पंजीकरण प्रमाणपत्र के समर्पण में विफलता

अध्याय - 6**प्रकीर्ण/विविध**

- 36 सरकार द्वारा निदेश
 37 परिषद को अधिक्रमित करने का अधिकार
 38 सद्भावपूर्ण की गई कारवाई का संरक्षण
 39 नियम बनाने का अधिकार
 40 विनियम बनाने का अधिकार
 41 कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार

अध्याय-1**प्रारंभिक****1 संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और विस्तार।**

- (1) यह अधिनियम झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) परिषद अधिनियम, 2020 कहलायेगा।
 (2) यह अधिनियम पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा।
 (3) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी/लागू होगा।

2. परिभाषाएं—जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तबतक इस नियमावली में -

- क) 'नियुक्ति तिथि' से अभिप्रेत है वह तिथि जब धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया।

- ख) 'परिषद्' से अभिप्रेत है धारा-3 के अंतर्गत गठित झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) परिषद्।
- ग) 'सरकार' या 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है झारखंड राज्य सरकार ।
- घ) 'निरीक्षक' से अभिप्रेत है धारा-23 के अंतर्गत परिषद् द्वारा नियुक्त निरीक्षक।
- ङ) 'सदस्य' से अभिप्रेत है परिषद् के सदस्य ।
- च) 'भौतिक चिकित्सक' से अभिप्रेत है, अनुसूची-प में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त संस्था से अर्हता/योग्यता प्राप्त व्यक्ति, जिसका नाम भौतिक चिकित्सक पंजी (फिजियोथेरेपीस्ट रजिस्टर) में दर्ज हो।
- छ) 'भौतिक चिकित्सा' से अभिप्रेत है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की ऐसी शाखा, जिसमें सम्मिलित है- शारीरिक विकार अथवा दिव्यांगता के इलाज हेतु शारीरिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने, चिकित्सा और दर्द से राहत देने हेतु इलेक्ट्रोथेरेपी सहित भौतिक अभिकर्मकों, गतिविधियों और व्यायाम, थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउण्ड, लेजर, विद्युतीय और ऊष्मीय अभिकर्मकों द्वारा शारीरिक और मनोदैहिक विकारों की चिकित्सा, रोग तथा गहन देखभाल इकाई में छाती-फिजियोथेरेपी के माध्यम से जीवन रक्षक उपाय सहित, जीर्ण शारीरिक दोषों को रोकने, सुधारने, उन्मूलन करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के शारीरिक विकार या अशक्तता की परीक्षा, आकलन, व्याख्या, शारीरिक एवं चिकित्सकीय जांच, उपचार और सलाह एवं निष्पादन सम्मिलित है।
- ज) 'प्रिसक्राइब्ड/विहित' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम।
- झ) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है परिषद् का अध्यक्ष।
- ञ) 'पेशेवर' से अभिप्रेत है भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) का पेशा।
- ट) 'संस्था' से अभिप्रेत है भारत देश के अंदर या देश के बाहर राज्य सरकार अथवा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसी कोई संस्था, जो भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) में यथा स्नातक, स्नातकोत्तर या पीएच्.डी. की डिग्री प्रदान करती हो।
- ठ) 'मान्यता प्राप्त संस्थान' से अभिप्रेत है अनुसूची-;पद्ध में निर्दिष्ट संस्था, जो भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) में उपाधि प्रदान करती हो।
- ड) 'मान्यता प्राप्त भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) योग्यता' से अभिप्रेत है अनुसूची-;पद्ध में पंजीकृत भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) में मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) की उपाधि।
- ढ) 'पंजी' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के तहत परिषद् द्वारा तैयार और संधारित रजिस्टर/पंजी ।
- ण) 'पंजीकृत पेशेवर' से अभिप्रेत है वैसे भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) जिनका नाम परिषद् के पंजी में दर्ज हो और निरंतर बना हुआ हो।

- त) 'निबंधक' से अभिप्रेत है धारा-14 के तहत नियुक्त निबंधक।
- थ) 'विनियमन' से अभिप्रेत है धारा-40 के तहत परिषद द्वारा बनाए गए विनियम;
- द) 'नियम' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम ।
- ध) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के साथ संलग्न भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) से संबंधित अनुसूची-; पपद्ध से संबद्ध अनुसूची-; पद्ध ।
- न) 'राज्य' से अभिप्रेत है झारखंड राज्य।
- प) 'उपाध्यक्ष' से अभिप्रेत है परिषद का उपाध्यक्ष।

अध्याय -2 परिषद् का गठन

3. परिषद का गठन एवं समावेश:-

- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद, यथाशीघ्र राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक परिषद का गठन कर सकती है, जिसे झारखण्ड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) परिषद कहा जाएगा।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन गठित परिषद, एक निगमित निकाय होगी, जिसके पास स्थायी उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगा, जिसमें साथ चल और अचल दोनों संपत्तियों के अधिग्रहण, धारण या निपटान करने का अधिकार होगा और उसको कोर्पोरेट के नाम से अनुबंधित तथा मुकदमा कर या करा सकते हैं।
- (3) परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, उनके नाम इस प्रकार हैं-
- क. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड, पदेन सदस्य ।
- ख. चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के निदेशक, पदेन सदस्य
- ग. पंजीकृत चिकित्सकों में से चुने गए चार सदस्य, जो भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) रजिस्टर में नामित हों।
- घ. राज्य सरकार द्वारा नामित दो ऐसे सदस्य, जो मान्यता प्राप्त भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) शिक्षण संस्थान से हो, जो शिक्षक पद धारित करते हों और झारखंड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करते हों ।
- ड. राज्य सरकार द्वारा नामित स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले सिविल सोसाइटी/गैर सरकारी संगठन के दो सदस्य ।

परन्तु, खंड (ग)में निर्दिष्ट सदस्यों का चुनाव ऐसे समय और ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से किया जाएगा, जैसा कि विहित किया गया है,

परन्तु यह और कि, खंड (ग)में निर्दिष्ट सदस्यों के निर्वाचन के लिए पहला चुनाव इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर आयोजित किया जाएगा ;

परन्तु यह भी कि, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप रजिस्टर के लंबित रहने पर इस अधिनियम के प्रवृत्त होने तक उन निबंधित सदस्यों का निर्वाचन स्थगित रहने पर खंड (ग)में निर्दिष्ट सदस्यों को चुनाव और नियुक्ति होने तक राज्य सरकार द्वारा नामित किया जा सकता है।

च. भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) के क्षेत्र से सरकार द्वारा नामित दो व्यक्ति।

छ. राज्य में मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों के दो भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) जो सरकार द्वारा नामित किए गए हों।

ज. धारा-14 के तहत नियुक्त निबंधक सदस्य-सचिव होगा।

- 4) परिषद के सदस्य अध्यक्ष का चुनाव अपने बीच से ही कर सकते हैं।
- 5) परिषद के सदस्यों द्वारा एक उपाध्यक्ष भी अपने बीच से ही चुना जायेगा।
- 6) जो कोई व्यक्ति यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारण करता है या कर चुका है, इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अध्यक्षीन इस पद पर पुनः निर्वाचन के योग्य होगा।
- 7) उप-धारा (3) के खंड (ग)के तहत किसी भी निर्वाचन में, निर्वाचक यदि निर्वाचित सदस्यों की अपेक्षित संख्या को चुनने में असफल रहते हैं तो, रिक्ति या रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकार ऐसे पंजीकृत चिकित्सकों को मनोनीत करेगी, जिसे योग्य समझा जाएगा; और मनोनीत चिकित्सकों को इस धारा के तहत विधिवत निर्वाचित समझा जाएगा।
- 8) किसी सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के किसी निर्वाचन में यदि कोई विवाद पैदा होता है तो, इसे राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा, और राज्य सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

4. कार्यकाल :-

- (1) शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों के नाम प्रकाशित करेगी।
- (2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय निर्वाचित अथवा मनोनीत कोई सदस्य उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष के लिए पद धारण करेगा।
- (3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने निर्वाचन की तारीख से उस दिन तक अपना पद संभालेंगे जबतक कि सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल की अवधि समाप्त ना हो जाय।
- (4) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी पद त्याग करनेवाले सदस्य का कार्यकाल, उप-धारा (1) के अधीन उत्तराधिकारी सदस्यों के नाम प्रकाशन की तिथि के ठीक पहलेवाले दिन तक विस्तारित एवं समाप्त माना जाएगा।

(5) उप-धारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी पद त्याग करनेवाले अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का कार्यकाल, यथास्थिति उत्तराधिकारी अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के निर्वाचित होने के ठीक पहलेवाले दिन तक विस्तारित एवं समाप्त माना जाएगा।

(6) एक पद त्याग करनेवाला कोई सदस्य दुबारा निर्वाचन या मनोनयन के योग्य माना जाएगा।

(7) परिषद किसी भी सदस्य को छः महीने से अनधिक अवकाश प्रदान कर सकता है।

5. आकस्मिक रिक्तियाँ:-

(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने से पहले या धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अंतर्गत चुने गए किसी भी सदस्य के इस्तीफे, अयोग्यता, विकलांगता या मृत्यु या किसी अन्य कारण से हुई आकस्मिक रिक्ति को, सरकार द्वारा चुनाव प्रक्रिया से भरा जाएगा:

परन्तु, यदि कार्यालय के किसी निर्वाचित सदस्य की रिक्ति, कार्यालय के सभी सदस्यों के कार्यकाल समाप्त होने के छः महीने के भीतर हो तो यह रिक्ति नहीं भरी जाएगी।

(2) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ)ए (ड)और(च)के अंतर्गत नामित किसी सदस्य का कार्यकाल किसी कारण से खत्म होने पर आकस्मिक रिक्ति की सूचना निबंधक के माध्यम से राज्य सरकार को अविलंब दी जाएगी और उसके बाद यथाशीघ्र राज्य सरकार द्वारा मनोनयन से रिक्तियों को भरा जाएगा।

(3) उपधारा (1) के तहत निर्वाचित या उपधारा (2) के तहत मनोनीत कोई व्यक्ति धारा-4 में अंतर्निहित किसी बात के होते हुये भी, किसी पद की आकस्मिक रिक्ति को भरने के निमित्त तब तक पद धारण कर सकता है, जब तक उस व्यक्ति का कार्यकाल था, जिसके स्थान पर उसे चुना गया या मनोनीत किया गया है।

6. पदत्याग:-

(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, परिषद को संबोधित करते हुए लिखित रूप से रजिस्ट्रार को किसी भी समय सूचना देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। यह इस्तीफा परिषद द्वारा स्वीकार करने की तिथि से प्रभावी होगा।

(2) कोई निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष को संबोधित लिखित सूचना देकर किसी भी समय इस्तीफा दे सकता है। कोई मनोनीत सदस्य सरकार को संबोधित लिखित सूचना देकर कभी भी अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। ऐसा प्रत्येक इस्तीफा उस तारीख से प्रभावी होगा, जब यथास्थिति सरकार या अध्यक्ष द्वारा, इसे स्वीकार किया जाए।

7. अनर्हता:-

1. कोई व्यक्ति निर्वाचित या मनोनीत होने से, और एक सदस्य के रूप में बने रहने से अनर्हित हो सकता है, यदि:-

- (i) यदि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा, मानसिक रूप से बीमार घोषित किया गया है, या
- (ii) यदि उसे नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े किसी भी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है, जो कि सरकार की राय में उसे परिषद के सदस्य होने के अयोग्य ठहराती हो, या
- (iii) यदि वह किसी भी समय न्यायनिर्णित दिवालिया घोषित हुआ हो, या
- (iv) यदि उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया हो और दुबारा दर्ज ना किया गया हो, या

(v) यदि वह परिषद का पूर्णकालिक अधिकारी या कर्मचारी हो।

2. यदि कोई सदस्य परिषद से धारा 4 की उपधारा (7) के अंतर्गत परिषद से छुट्टी लिए बिना या बिना किसी कारण के परिषद की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो परिषद विचार करके उस पद को रिक्त घोषित कर सकती है और रिक्ति को भरने के लिए भी कदम उठा सकती है।
3. यदि कोई सदस्य उपधारा (1) में उल्लिखित किसी अयोग्यता के अधीन हो या पाया जाता हो, तो परिषद सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, और यदि सरकार अयोग्यता से सहमत हुई, तो उस पद को रिक्त घोषित कर सकती है।

8. परिषद की बैठक:-

(1) परिषद की बैठक प्रत्येक छः महीने में विहित रीति से आयोजित की जायेगी।

परन्तु यह कि, पहली बैठक परिषद के अध्यक्ष द्वारा नियत समय और स्थान पर आयोजित की जायेगी।

(2) जब अध्यक्ष बैठक में उपस्थित हों तो परिषद की हर बैठक की अध्यक्षता वही करेंगे। यदि किसी बैठक में अनुपस्थित हों, तो बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों कि अनुपस्थिति में, बैठक में मौजूद सदस्यों द्वारा चुने गए कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

(3) परिषद की बैठक में सभी प्रश्नों का फैसला बहुमत वोटों द्वारा किया जाएगा।

(4) समान वोटों की संख्या की स्थिति में परिषद की बैठक की अध्यक्षता करनेवाले के पास एक दूसरा विकल्प या निर्णायक वोट का प्रयोग कर सकते हैं।

(5) यदि किसी बैठक में गणपूर्ति नहीं होती है, तो अध्यक्षता करनेवाला प्राधिकारी ऐसे कोरम के लिये 30 मिनट प्रतीक्षा करने के पश्चात बैठक को, परिषद के कार्यालय के सूचनापट्ट पर यथाअधिसूचित, अगली किसी अन्य तिथि को निर्धारित समय के लिये स्थगित कर देगा तथा मूल बैठक, जिसमें यदि कोरम पूरा होता है लाये गये मामलों को इस बैठक में रखा जायेगा, जिन्हें ऐसी बैठक में अथवा ऐसी किसी पश्चातवर्ती बैठक में निष्पादित किया जा सकेगा चाहे कोरम पूरा हो या ना हो।

(6) परिषद के कुल सदस्यों का कम से कम पांचवा भाग मिलकर यदि सचिव से लिखित रूप में मांग करे तो परिषद की एक असाधारण बैठक का आयोजन किया जा सकता है।

परन्तु ऐसी बैठक के आयोजन के लिए कम से कम पूरे सात दिनों की पूर्वसूचना दी गई हो।

9. बैठक की कार्यवाही:-

(1) परिषद की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही को गोपनीय रखा जाएगा; और कोई भी व्यक्ति परिषद के विगत संकल्प के बिना किसी कार्यवाही को प्रकट नहीं करेगा।

परन्तु, इस खंड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी व्यक्ति को परिषद द्वारा पारित किसी संकल्प की विषयवस्तु को प्रकट करने या प्रकाशित करने से रोके, जबतक कि परिषद यह निदेशित नहीं करती है कि इन प्रस्तावों को गोपनीय रखा जाए।

(2) परिषद की कोई भी धारा या कार्यवाही केवल इन कारणों की वजह से ही अमान्य नहीं होगी कि -

- (क) परिषद के संविधान में कोई कमी या खामी हो , या
 (ख) परिषद के किसी भी सदस्य के चुनाव या मनोनयन में कोई खामी हो, तथा
 (ग) परिषद की कार्यप्रणाली की अनियमितता के मामले के गुणदोष को प्रभावित नहीं करेगी।
- (3) परिषद में कोई रिक्ति होने के दौरान विद्यमान सदस्य इस प्रकार कार्य करेंगे, जैसे कोई रिक्ति हुई ही ना हो।

10. कार्यकारी समिति और अन्य समितियाँ:-

(1) परिषद अपने सदस्यों में से यथाशीघ्र उपधारा (2) में यथाविहित एक कार्यकारी समिति तथा अन्य समितियों का, ऐसे सामान्य या विशिष्ट प्रयोजनों तथा अवधि के लिये गठन करेगी, जिसे परिषद इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक समझे।

(2) कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

(i) परिषद का अध्यक्ष

(ii) परिषद का उपाध्यक्ष

(iii) परिषद के दो भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) सदस्य, जो परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किए गए हों

(iv) सरकार के निदेशक, स्वास्थ्य सेवार्ये या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति।

(3) परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, क्रमशः कार्यकारी समिति के सभापति और उपसभापति होंगे।

(4) कार्यकारी समिति का सदस्य तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक उसकी कार्यावधि समाप्त ना हो और वह पुनः नामांकन के लिए भी योग्य होगा।

(5) कोई सदस्य, समिति के अध्यक्ष को संबोधित करते हुये समिति की सदस्यता से हस्तलिखित इस्तीफा दे सकता है और ऐसी रिक्ति धारा 5 की उपधारा (2) में विहित रीति से भरी जायगी।

(6) कार्यकारी समिति अपनी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों और निर्वहन यथाविहित रीति से करेगी।

11. तुल्यता और पंजीकरण समिति:-

(1) भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) में प्रशिक्षण देनेवाली संस्थाओं द्वारा दी गई डिग्री की पहचान करने और भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) के पंजीकरण से संबंधित मामलों पर विचार करने के उद्देश्य के लिए एक तुल्यता और पंजीकरण समिति होगी। जबतक इस नियम में अन्यथा उपबंधित न हो, समिति की अनुशंसा को कार्यकारी समिति और परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(2) इस समिति के सभापति उपाध्यक्ष होंगे। परिषद के अध्यक्ष द्वारा, परिषद के सदस्यों में से पाँच अन्य सदस्य मनोनीत किये जायेंगे, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों और भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) की विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

12. परिषद के सदस्यों, कार्यकारी समिति, तुल्यता और पंजीकरण समिति के सदस्यों के शुल्क और भत्ते:-

परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को और इसकी कार्यकारी समिति तथा तुल्यता और पंजीकरण समिति के सदस्यों को बैठकों में भाग लेने के लिए समय[≤] पर निर्धारित शुल्क और भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

13. परिषद की आय और व्यय:-

(1) परिषद की आय में शामिल होगा -

- (क) चिकित्सकों द्वारा प्राप्त निबंधन शुल्क।
- (ख) राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, यदि कोई हो
- (ग) परिषद द्वारा प्राप्त निबंधन शुल्क।
- (घ) भौतिक चिकित्सा संस्थानों (फिजियोथेरेपी) की संबद्धता के एवज में प्राप्त शुल्क और
- (ङ) अन्य कोई शुल्क/निधि जो परिषद अनुमत करे।

(2) परिषद निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए व्यय करने के लिए सक्षम होगा:-

- (क) परिषद द्वारा संपोषित रजिस्ट्रार और कर्मचारी के वेतन और भत्ते।
- (ख) परिषद और कार्यकारी समिति के सदस्यों को दिये जानेवाले शुल्क और भत्ते।
- (ग) निर्धारक को पारिश्रमिक भुगतान, और
- (घ) इस अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्यों के पालन करने और कृत्यों के निर्वहन के लिये अन्य आवश्यक व्यय।

3) झारखण्ड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) परिषद एक स्ववित्त पोषित संस्था होगी।

14. रजिस्ट्रार की नियुक्ति, उसके कृत्य और कर्तव्य:-

(1) राज्य सरकार की पूर्वानुमति से परिषद एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगा, जो योग्य भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) होगा।

(2) रजिस्ट्रार को समय[≤] पर छुट्टी कार्यकारी समिति द्वारा दी जा सकेगी। परन्तु, इस छुट्टी की अवधि एक महीने से अनधिक होने पर छुट्टी की स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा दी जा सकेगी।

(3) छुट्टी या किसी अन्य कारण से रजिस्ट्रार की अनुपलब्धता जैसी रजिस्ट्रार पद की अस्थायी रिक्ति की अवधि में सरकार की पूर्वानुमति से, कार्यकारी समिति उसके स्थान पर कार्य करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। और इस प्रकार नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की अवधि के लिये इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रार माना जाएगा।

परन्तु, एक महीने से अधिक होने पर ऐसी नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जा सकती है, और ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट उसी समय कार्यकारी समिति और सरकार को दी जाएगी।

(4) परिषद, सरकार के पूर्वानुमति से रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किसी भी व्यक्ति को निलंबित या पदच्युत कर सकती है या हटा सकती है या उस पर कोई शास्ति अधिरोपित कर सकती है।

परन्तु, इस उपधारा के अधीन किसी भी आदेश को जारी करने से पहले रजिस्ट्रार को परिषद के समक्ष अपना पक्ष रखने और परिषद द्वारा सुनवाई का उचित मौका दिया जाएगा।

(5) इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय रजिस्ट्रार का वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवाशर्त वही होंगे जैसा विहित किया जाय।

(6) रजिस्ट्रार समिति का पदेन सचिव और कार्यपालक अधिकारी होगा। वह परिषद, कार्यकारी समिति तथा तुल्यता और पंजीकरण समिति के सभी बैठकों में भाग लेगा और बैठक का कार्यवृत्त, उपस्थित सदस्यों के नाम और बैठक की लिखित कार्यवाही अपने पास रखेगा।

(7) परिषद के खातों, लेखा-जोखा को रजिस्ट्रार द्वारा विहित रीति से रखा जाएगा।

(8) रजिस्ट्रार को कर्मचारियों के पर्यवेक्षण का यथाविहित अधिकार होगा तथा इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अथवा जैसा विहित किया जाय, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन किया जा सकता है।

(9) इस धारा के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार को आई.पी.सी के धारा 21 (1860 के

45) के अंतर्गत एक लोकसेवक माना जायेगा।

15. परिषद के अन्य कर्मचारीगण:-

(1) परिषद ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत कृत्यों का निर्वहन करने और इसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक समझा जाए।

परन्तु, सरकार की पूर्वानुमति से परिषद द्वारा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, उनका पदनाम, वेतन और भत्ते परिषद द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा।

(2) परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की अन्य सेवाशर्तें वैसी ही रहेंगी, जैसी कि विहित की जाय।

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को, आई.पी.सी के धारा 21 (1860 के 45) के अधीन लोक सेवक माना जाएगा एवं झारखण्ड असैनिक सेवा नियमावली से शासित होंगे।

अध्याय - 3
परिषद के कार्य

16. परिषद के कार्य, कर्तव्य और अधिकार:- इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार या शर्तों के अधीन परिषद के कार्य, कर्तव्य और अधिकार-

- (क) सभी स्तरों पर भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) शिक्षा के मानकों का निर्धारण और समन्वय करना।
- (ख) धारा 17 के अंतर्गत, नया संस्थान शुरू करने या नया शैक्षणिक या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु मंजूरी देने के लिये सरकार से अनुशंसा करना।
- (ग) राज्य में भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) तथा व्यावसायिक चिकित्सकों को पंजीकृत करना और रजिस्ट्रों का संधारण।
- (घ) पेशेवर भौतिक चिकित्सकों के व्यावसायिक आचरण को विनियमित करने के लिए आचार संहिता विहित करना।
- (ङ) भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) के क्षेत्र में कार्यबल की आवश्यकता के बारे में सरकार को सलाह देना।
- (च) रजिस्ट्रार द्वारा लिए गए किसी निर्णय पर अपील की सुनवाई और विनिश्चय करना।
- (छ) किसी चिकित्सक को दंड देना या उसे निलंबित करना या रजिस्टर से उसका नाम हटाना या उसके खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्यवाही करना, जो परिषद की राय में समीचीन और आवश्यक हो।
- (ज) परिषद के सदस्यों की कार्य अवधि के समाप्त होने से पहले या किसी मामले में कार्य अवधि समाप्त होने के छः माह के भीतर, उस पद के लिए चुनाव करवाना, और
- (झ) इस अधिनियम में यथाअभिकथित अथवा जैसा विहित किया जाय, उन शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन, अन्य कृत्यों का निर्वहन।

17. नये संस्थानों की स्थापना, नए पाठ्यक्रम आदि के लिए अनुमति:-

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के होते हुये भी यह उस तिथि से प्रभावी होगी जब इसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए:

- (क) कोई व्यक्ति बिना अनुमति के संस्था स्थापित नहीं करेगा; या
- (ख) इस धारा के उपबंधों के अधीन, कोई भी व्यक्ति या संस्था राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना -

(i) नए या उच्चतर पाठ्यक्रम का अध्ययन या प्रशिक्षण (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) या ऐसा कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं कर सकती है जो किसी छात्र को किसी मान्यताप्राप्त भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) की उपाधि हासिल करने के लायक बनाती हो।

(ii) किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अध्ययन या प्रशिक्षण सहित) के लिए दाखिला क्षमता में वृद्धि नहीं कर सकता है।

स्पष्टीकरण 1-इस धारा के प्रयोजनार्थ, 'कोई व्यक्ति' में शामिल है - कोई विश्वविद्यालय या ट्रस्ट या सभा या कोई संस्था, लेकिन इसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार शामिल नहीं है।

स्पष्टीकरण 2-इस धारा के प्रयोजनार्थ, किसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम के अध्ययन या प्रशिक्षण (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) से संबंधित 'दाखिला क्षमता', से अभिप्रेत है सरकार द्वारा समय[≤] पर ऐसे कोर्स या प्रशिक्षण में प्रवेश लेनेवाले छात्रों की निर्धारित संख्या।

- (2) (क) उप-धारा (1) के अधीन अनुमति प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति या संस्था, राज्य सरकार के समक्ष अपनी स्कीम प्रस्तुत करेगी;
 (ख) इस तरह के आवेदन की प्राप्ति के बाद, राज्य सरकार इस स्कीम को परिषद के पास अनुशंसा के लिए भेजेगी।

(3) उप-धारा (2) के अधीन, परिषद किसी स्कीम की प्राप्ति पर या बाद में भी, परिषद संबंधित व्यक्ति या संस्था से ऐसे अन्य विवरण अभिप्राप्त कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे-

(क) यदि स्कीम दोषपूर्ण हो या इसमें कोई आवश्यक विवरण नहीं हो, तो संबंधित व्यक्ति या संस्था को लिखित अभ्यावेदन देने या परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट किसी त्रुटि को, यदि हो तो, सुधारने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(ख) उप-धारा (5) में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुये स्कीम पर विचार किया जायेगा और अपनी अनुशंसा के साथ स्कीम को राज्य सरकार के पास भेजा जायेगा।

(4) राज्य सरकार, उप-धारा (3) के तहत परिषद की अनुशंसाओं तथा स्कीमों को प्राप्त करने और उस पर विचार करने के बाद, और ऐसे अन्य विवरण जो इससे संबंधित व्यक्ति या संस्था से अभिप्राप्त करना आवश्यक समझा जाए, उन्हें प्राप्त कर उप-धारा (5) में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को अनुमोदित करेगी। इस अनुमोदन को उप-धारा (1) की अनुमति के अधीन दी गई अनुज्ञा माना जाएगा।

स्कीम की अस्वीकृति के मामले में, इस तरह के अस्वीकृति के कारणों को अभिलिखित किया जाएगा और ऐसे निर्णयों को इसके कारण सहित आवेदक को सूचित किया जाएगा;

परन्तु, सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में आवेदक द्वारा सरकार के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा सकेगा और उन स्पष्टीकरणों पर विचार करने के बाद सरकार अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

परन्तु यह और कि इस उप-धारा (5) की किसी बात का यह अर्थ ना लगाया जाय कि वह किसी व्यक्ति या संस्था को नई स्कीम प्रस्तुत करने से रोक सकती है, जिसकी स्कीम को पहले राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत किया गया है। इस धारा के प्रावधान इस स्कीम पर उसी तरह लागू होंगे, मानो यह स्कीम उप-

धारा (2) के तहत पहली बार जमा की जा रही है।

(5) उपधारा (3) के खंड(ख) के अधीन परिषद् अनुशंसा करते समय और राज्य सरकार किसी आदेश को पारित करते समय, उप-धारा (4) के अधीन निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये स्कीम को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है, यथा:-

(क) प्रस्तावित संस्था या मौजूदा संस्थान जो अध्ययन या प्रशिक्षण के नए या उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना चाहता है, तो क्या वह परिषद द्वारा धारा-16 के अध्यक्षीन विहित शिक्षा के न्यूनतम मानकों को पूरा करने में सक्षम है?

(ख) कोई व्यक्ति जो एक नई संस्था स्थापित करने का इच्छुक है या कोई मौजूदा संस्थान जो अध्ययन या प्रशिक्षण का नया या उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारंभ चाहता है या दाखिले की क्षमता में वृद्धि करना चाहता है तो उसके पास पर्याप्त वित्तीय साधन है?

(ग) संस्थान का समुचित संचालन सुनिश्चित करने के लिये स्कीम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कर्मचारी, उपकरण, स्थान-सुविधा, प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधा या नए पाठ्यक्रम के अध्ययन या प्रशिक्षण के संचालन या दाखिला क्षमता में की गई अथवा की जानेवाली वृद्धि के लिये स्थान-सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी?

(घ) ऐसे छात्रों के लिए जो ऐसे संस्थान में अध्ययन करना चाहते हों, या किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हों, उनके लिये किसी ऐसे व्यक्ति से प्रशिक्षण देने की, जिसके पास मान्यताप्राप्त भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपी) की योग्यता हो, उसके लिए, यथास्थिति, क्या व्यवस्था की गई है या उसका क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है?

(ङ) भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) की प्रैक्टिस के क्षेत्र में कार्यबल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, यथास्थिति, आवश्यक क्या व्यवस्था की गई है या कार्यक्रम तैयार किया गया है। तथा,

(च) कोई भी अन्य कारक जिसे विहित किया जाय।

(6) जब राज्य सरकार इस धारा के अंतर्गत ऐसी स्कीम को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का आदेश पारित करती है तो इस आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति या संस्था को भेजी जायेगी।

(7) राज्य सरकार द्वारा ऐसी स्कीम की स्वीकृति के बाद, संस्था का नाम, यथास्थिति अनुसूची-I अथवा अनुसूची-II में शामिल किया जाएगा।

18. कतिपय मामलों में अर्हताओं की अमान्यता:-

(1) इस अधिनियम के लागू होने के बाद, धारा-17 के अध्यक्षीन, राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना यदि कोई संस्था स्थापित होती है तो, ऐसे संस्थान द्वारा किसी भी छात्र को दी गई उपाधि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त उपाधि नहीं मानी जाएगी।

(2) यदि कोई संस्था, धारा 17 के अध्यक्षीन, राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम का अध्यापन या प्रशिक्षण (अध्यापन या प्रशिक्षण के एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) या कोई नया कोर्स या कोई नया प्रशिक्षण प्रारंभ करती है, तो ऐसे संस्थान द्वारा किसी भी छात्र को ऐसे अध्ययन या प्रशिक्षण की दी गई उपाधि को मान्यताप्राप्त उपाधि नहीं माना जाएगा।

(3) यदि कोई संस्था, धारा 17 के अध्याधीन, राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना भौतिक चिकित्सा के किसी भी अध्ययन या प्रशिक्षण में दाखिले की क्षमता में बढ़ोतरी करती है तो, धारा के प्रावधानों के अनुसार किसी भी छात्र को ऐसे बढ़ी हुई दाखिला-क्षमता के आधार पर अध्ययन या प्रशिक्षण की दी गई उपाधि को मान्यताप्राप्त उपाधि नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण -इस धारा के प्रयोजनार्थ, किसी ऐसे छात्र की, जिसने भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) की उपाधि दाखिला-क्षमता में ऐसी अनधिकृत वृद्धि के आधार पर प्राप्त की हो, उसकी पहचान के लिए मानदंड निर्धारित किया जा सकता है।

19. कतिपय विद्यमान संस्थानों के लिए अनुमति लेने का समय:-

(1) धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार, कोई व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से ऐसी संस्था स्थापित की है, वह उक्त तिथि से छः माह के भीतर राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करेगा।

(2) यदि वह व्यक्ति उपधारा (1) के अंतर्गत अनुमति लेने में विफल रहता है तो, जहाँ तक हो सके उसपर धारा 18 के प्रावधान लागू हो सकते हैं, मानो कि धारा 17 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमति अस्वीकृत कर दी गई हो।

20. भारत या विदेश में पेशेवर भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) को विश्वविद्यालयों आदि द्वारा प्रदान की गई मान्यताप्राप्त उपाधियों की पहचान:-

(1) भारत का कोई विश्वविद्यालय या अन्य संस्थान, जो भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) की उपाधि प्रदान करता हो और जो विश्वविद्यालय या संस्था, यथास्थिति अनुसूचियों में शामिल नहीं हो, तो वह उपधारा 19(1) के प्रावधानों के अधीन अनुसूचियों में शामिल करने के लिए राज्य सरकार को आवेदन दे सकता है। राज्य सरकार, परिषद से सलाह लेने के बाद, राजकीय गजट में अधिसूचना जारी कर, अनुसूची में संशोधन कर सकती है, ताकि सुसंगत अनुसूची में विश्वविद्यालय या संस्था का नाम शामिल किया जा सके और ऐसी अधिसूचना में यह भी निर्देशित किया जायेगा कि यह प्रविष्टि सुसंगत अनुसूची के अंतिम स्तंभ में अंकित की जाय तथा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विहित तिथि के ठीक बाद से यथास्थिति विश्वविद्यालय या संस्था को मान्यताप्राप्त माना जायेगा।

(2) भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) से संबंधित अनुसूची-;पद्ध में निर्दिष्ट, भारत में किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य संस्थान द्वारा दी गई उपाधि, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मान्यताप्राप्त योग्यता मानी जाएगी।

21. मान्यता का प्रभाव:-

(1) (क) अनुसूची-;पद्ध तथा अनुसूची-;पपद्ध में शामिल किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा अनुदत्त भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) की कोई भी उपाधि क्रमशः यथास्थिति भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) के रजिस्टर में नाम दर्ज किये जाने के लिए पर्याप्त होगी।

(ख) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि के बाद से, कोई भी व्यक्ति तबतक एक भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) के रूप में रजिस्टर में नामांकन के लिए योग्य नहीं माना जाएगा, जब तक वह मान्यताप्राप्त योग्यता धारित नहीं करता हो,

परन्तु किसी व्यक्ति के नामांकन का हकदार होने के बारे में कोई विवाद हो तो, तो मामले को संबंधित तुल्यता और पंजीकरण समिति को भेजा जाएगा, जो इस पर विचार करेगी और अपनी अनुशासा कार्यकारी समिति को भेजेगी, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी:-

(क) यदि कोई भारतीय नागरिक कोई ऐसी योग्यता रखता हो जो उसे किसी विदेशी भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) परिषद में पंजीकृत होने का अधिकार प्रदान करता हो, परिषद के अनुमोदन से उस देश के सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर जबतक यह उपाधि संबंधित अनुसूची में शामिल नहीं की जाती है, यथास्थिति रजिस्टर में उसका नामांकन अस्थायी तौर पर मान्यता प्राप्त भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) के रूप में दर्ज होगा।

(ख) यदि संबंधित राज्य या केंद्रशासित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भारतीय अस्पताल या संस्था में भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) के शिक्षक के रूप में कार्यरत कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है और वह शिक्षण, अनुसंधान या सेवा के उद्देश्य से काम कर रहा है, तो परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से, अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए आदेश में इस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के लिये उसका नाम अस्थायी रूप से रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

परन्तु, ऐसा व्यक्ति सामान्य भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) के रूप में प्रैक्टिस/चिकित्सा नहीं कर सकता है और उसका कार्य या अध्यापन केवल संबंधित अस्पताल या संस्था तक ही सीमित होगा:

परन्तु यह और कि, खंड (क) के अधीन ऐसे किसी भी नामांकन की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि परिषद स्क्रीनिंग टेस्ट या परीक्षा या यथाविहित ऐसे अन्य टेस्ट द्वारा पूरी तरह से संतुष्ट ना हो ले कि वह व्यक्ति भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) के प्रैक्टिस/चिकित्सा के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल रखता है।

22. अध्ययन और प्रशिक्षण और परीक्षा के पाठ्यक्रम की जानकारी का अधिकार:-

झारखंड का प्रत्येक प्राधिकरण या विश्वविद्यालय या संस्थान जो कोई उपाधि या मान्य उच्च उपाधि प्रदान करता है, समय-समय पर परिषद द्वारा विहित ऐसे विवरण और सूचनार्य प्रस्तुत करेगा जो, ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण या परीक्षा द्वारा उपाधि प्रदान करने के लिए आवश्यक है और जो सामान्यतः ऐसी योग्यता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित माना जाता है।

23. निरीक्षक:-

(1) कार्यकारी समिति इस निमित्त गठित इन नियमों के अधीन, यदि कोई हो, तो निरीक्षकों की ऐसी संख्या में नियुक्ति कर सकता है, जो किसी ऐसी संस्था का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक हो, जहाँ भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) की शिक्षा या प्रशिक्षण दिया जाता है और किसी मान्य उपाधि या मान्य उच्च उपाधि प्रदान करने के उद्देश्य से परीक्षाओं का आयोजन करता हो।

(2) इस धारा के तहत नियुक्त निरीक्षकों द्वारा किसी भी परीक्षा के पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, लेकिन वे प्रशिक्षण के प्रयोजनों और संस्था में प्रशिक्षण की पर्याप्तता पर, या इससे संबंधित अन्य मामले में संस्था की उपयुक्तता पर या परीक्षा के मानकों की पर्याप्तता तथा किसी भी अन्य मामले में जिसके बारे में कार्यकारी समिति को रिपोर्ट की आवश्यकता हो, कार्यकारी समिति को रिपोर्ट करेंगे,

(3) संबंधित तुल्यता और पंजीकरण समिति से परामर्श के बाद कार्यकारी समिति इस रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित प्राधिकारी या संस्था को अग्रसारित करेगी और उसपर यदि प्राधिकारी या संस्था की कोई टिप्पणी हो तो, उस टिप्पणी के साथ राज्य सरकार या परिषद को अग्रसारित करेगी।

24. मान्यता वापस लेना

- (i) कार्यकारी समिति के रिपोर्ट पर जब परिषद को प्रतीत हो कि:-
- (क) राज्य में किसी विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा मान्य उपाधि प्राप्त करने के लिए अध्ययन, प्रशिक्षण और परीक्षाओं के पाठ्यक्रम या ऐसे पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने की शर्तें या ऐसी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की अनिवार्य योग्यता के मानक।
- (ख) ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान में प्रावधानित कर्मचारी, उपकरण, आवास, प्रशिक्षण और अन्य प्रशिक्षण।

अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप नहीं हैं या परिषद द्वारा निर्धारित मानकों से कम होने पर, परिषद राज्य सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन देगी। इस अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद राज्य सरकार यथायोग्य टिप्पणी के साथ इसे विश्वविद्यालय या संस्थान को अवधि विहित करते हुये अग्रसारित करेगी, जिसके भीतर विश्वविद्यालय या संस्थान राज्य सरकार को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सके।

- (ii) इस स्पष्टीकरण के प्राप्त होने पर अगर नियत अवधि के भीतर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो अवधि समाप्त होने पर, राज्य सरकार यदि ठीक समझे तो अतिरिक्त जांच के बाद जैसा उपयुक्त हो, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी कर अनुसूची ;पद्ध और अनुसूची ;पपद्ध में यथास्थिति, उक्त विश्वविद्यालय या संस्थान के नाम और उनके द्वारा दी गई उपाधि के बारे में घोषित करेगी कि उक्त विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा दी गई उपाधि केवल निर्दिष्ट तिथि से पहले तक ही मान्यता प्राप्त उपाधि होगी।

25. पेशेवर आचार:-

- (i) परिषद राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, नियमावली द्वारा पेशेवर आचार और शिष्टाचार के मानक और भौतिक चिकित्सकों (फिजियोथेरेपिस्ट) के लिए एक नैतिकता संहिता तैयार करेगी।
- (ii) उप-धारा (1) के अधीन बनाये गये विनियमों में यह विनिर्दिष्ट होगा कि किस तरह का उल्लंघन व्यावसायिक कदाचार माना जाएगा और इसके प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के होते हुये भी प्रभावी होंगे।

- (iii) कार्यकारी समिति, जाँच के बाद जैसा वह उचित समझे, यह सलाह दे सकती है कि व्यावसायिक चिकित्सकों के रजिस्टर अथवा भौतिक चिकित्सकों (फिजियोथेरेपिस्ट) के रजिस्टर में दर्ज किसी भी व्यक्ति का नाम पेशागत कदाचार के कारण रजिस्टर से हटा दिया जाय। तदनुसार परिषद को रिपोर्ट की जाएगी और फिर परिषद जाँच करने के बाद जैसा उचित समझे, ऐसे व्यक्ति के नाम को संबंधित रजिस्टर से स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए हटाने का आदेश जारी करेगी।
- (iv) यदि कोई व्यक्ति परिषद के इस आदेश से असंतुष्ट हो तो, वह विहित रीति से, निर्धारित अवधि के भीतर, निर्धारित शर्तों के साथ, निर्धारित फीस का भुगतान कर राज्य सरकार के समक्ष इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है।
- (v) इस तरह का अपील प्राप्त होने पर, राज्य सरकार संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का मौका देने के बाद, परिषद से परामर्श कर यथोचित आदेश निर्गत करेगी, जो अंतिम और बाध्यकारी होगा।

26. **जानकारी का प्रस्तुतिकरण**:-परिषद अपने कार्यवृत्त, रिपोर्ट, खाते का लेखा-जोखा और अन्य सूचनाओं की प्रति मांगे जाने पर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

अध्याय-4

रजिस्टर बनाना और उसका संधारण

27. रजिस्टर बनाना:-

- (1) नियुक्ति की तिथि के तुरंत बाद यथाशीघ्र रजिस्ट्रार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार झारखंड राज्य के भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) का एक रजिस्टर और परिषद का वेबसाइट तैयार करेगा और उसका संधारण करेगा।
- (2) रजिस्टर विहित रीति से निर्धारित भागों में विभाजित किया हुआ होगा। रजिस्टर में पूरा नाम (डा0) उपसर्ग सहित, पता, जन्मतिथि और पंजीकृत भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) की योग्यता, प्रत्येक योग्यता को प्राप्त करने की तिथि और ऐसे अन्य सभी विवरण शामिल होंगे जो निर्धारित किये गये हों। यही जानकारी काउंसिल के वेबसाइट पर होगी।
- (3) कोई व्यक्ति जिसने अनुसूची में निर्दिष्ट संस्थानों से योग्यता प्राप्त हो और भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) के रूप में प्रैक्टिस जारी रखना चाहता हो, वह निर्धारित प्रपत्र में रजिस्ट्रार को आवेदन देगा और परिषद को पाँच हजार रूपए की फीस का भुगतान करेगा और अपनी डिग्री, डिप्लोमा, लाइसेंस या प्रमाणपत्र, आधार एवं पैन कार्ड प्रस्तुत करने पर, जिस तारीख को उसका नाम रजिस्टर में दर्ज हुआ हो, उस तिथि से पाँच वर्ष के लिए वह अधिकृत हो सकेगा।
- (4) प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सक, पंजीकरण को नवीकृत करने के लिए या अपने पंजीयन की समयावधि को पाँच वर्ष तक बढ़ाने के लिए निर्धारित प्रपत्र में रजिस्ट्रार को आवेदन देगा और परिषद को ढाई हजार रूपए की फीस का भुगतान करेगा; परन्तु, नवीकरण के लिए दिया गया कोई भी आवेदन पंजीयन तिथि की समाप्ति के तीन माह पहले दिया हुआ हो।

परन्तु यह और कि, पंजीयन की तिथि की समाप्ति के एक माह बाद भी एक हजार रूपए की अतिरिक्त राशि दे कर नवीकरण के लिये आवेदन दिया जा सकता है। पंजीयन की समाप्ति के एक माह बाद, पंजीयन के नवीकरण के लिए प्राप्त किसी भी आवेदन को उप-धारा (3) के तहत नया आवेदन माना जाएगा।

- (5) प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सक को पंजीकरण या पंजीयन नवीकरण का एक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिया जाएगा। पंजीकृत चिकित्सक पंजीकरण या पंजीयन नवीकरण के प्रमाणपत्र को अपने औषधालय, क्लिनिक या प्रैक्टिस के स्थान में एक विशिष्ट स्थान पर रख सकता है, और यदि वह चाहे तो एक से ज्यादा जगह भी रख सकता है।
- (6) यदि निबंधक का समाधान हो जाता है कि पंजीकरण या पंजीयन नवीकरण का प्रमाण पत्र खो गया है या नष्ट हो गया है, तो रजिस्ट्रार दो हजार पाँच सौ के भुगतान पर वह निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणपत्र का प्रतिरूप जारी कर सकता है।
- (7) यदि कोई, जो किसी अन्य राज्य अथवा विदेश के किसी काउंसिल में पंजीकृत है तो वह संबंधित काउंसिल से अनापत्ति प्रमाणपत्र ;छब्बद प्रस्तुत करेगा/करेगी।

28. रजिस्टर से नाम हटाना:-

- (1) यदि परिषद या कार्यकारी समिति द्वारा विहित रीति से किए गए जाँच में कोई पंजीकृत चिकित्सक किसी कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो परिषद,
 - (क) उक्त चिकित्सक को एक पत्र या चेतावनी देगा, या
 - (ख) निदेश देगा कि उक्त चिकित्सक के नाम को
 - (i) निदेश में यथानिर्दिष्ट अवधि के लिये रजिस्टर हटाना, या
 - (ii) रजिस्टर से स्थायी रूप से हटा देना है।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजनार्थ, 'कदाचार' से अभिप्रेत है -

- (i) किसी पंजीकृत चिकित्सक को किसी दंड न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध पाया जाना, जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, या
 - (ii) किसी पंजीकृत चिकित्सक के सेना अधिनियम 1950 (1950 का 46) के तहत, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रयोजनार्थ किसी अपराध के लिए सैन्य कानून के अधीन सजा मिली हो, या
 - (iii) इस अधिनियम के तहत गठित परिषद द्वारा निर्धारित किसी भी आचार संहिता के अधीन कोई ऐसा आचरण जो इसके लिए परिषद की राय में चिकित्सा पेशे के लिये कुत्सित हो।
- (2) उप-धारा (1) के तहत परिषद या कार्यकारी समिति द्वारा की गई किसी जाँच में, यथास्थिति, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के तहत सिविल न्यायालयों में यथाविहित निम्नलिखित मामलों के संबंध में मुकदमा करने का दोनों को समान अधिकार है:-
 - (क) किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना और शपथ की जाँच करना;

(ख) दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना, और

(ग) गवाहों से परीक्षण के लिए आदेश जारी करना।

(3) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक जाँच को भारतीय दंड संहिता की धारा 193, 219 और 228 (1860 का 45) के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा।

(4) (क) परिषद या कार्यकारी समिति को सलाह देने के उद्देश्य से, यथास्थिति, इस अधिनियम के तहत किसी भी जाँच में विधि संबंधी उठने वाले किसी भी प्रश्न या इस तरह की किसी भी अन्य जानकारी के लिए एक असेसर (Assessor) होगा, जो कि 10 वर्षों से अन्यून अवधि के लिए होगा।

(i) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अधीन दर्ज कोई वकील; या

(ii) उच्च न्यायालय का एक न्यायावादी होगा।

(ख) इस उप-धारा के अधीन, किसी सामान्य या विस्तृत पूछताछ या किसी विशिष्ट पूछताछ के लिए एक असेसर नियुक्त किया जा सकता है और उसे विहित मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

29. रजिस्टर से नाम हटाने के खिलाफ अपील करना:-

(i) यदि किसी व्यक्ति का नाम उसकी अपेक्षित भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) की अयोग्यता को छोड़कर पेशेवर कदाचार के आधार पर या किसी अन्य आधार पर रजिस्टर से हटा दिया गया हो, तो वह निर्धारित शुल्क का भुगतान कर विहित रीति से राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(ii) उप-धारा (1) के अधीन, आदेश की तिथि से 30 दिनों की समयावधि समाप्त होने के बाद कोई भी याचिका दायर नहीं की जा सकती है:

परन्तु, यदि आवेदक उक्त अवधि के भीतर याचिका दायर नहीं कर पाने के पर्याप्त कारणों से सरकार का समाधान हो जाता है, तो 30 दिनों की समयावधि समाप्त होने के बाद भी अपील कर सकता है।

30. पंजीकृत सदस्य के अधिकार और विशेषाधिकार:-

पंजीकृत चिकित्सक से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति -

(क) राज्य सरकार में या किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित किसी संस्थान में किसी भी भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) के रूप में कार्यालय नहीं रखेगा या कोई अन्य कार्यालय (किसी भी पद के नाम से) नहीं रखेगा;

(ख) झारखंड राज्य में कहीं भी भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) की प्रैक्टिस नहीं कर सकता है और यथास्थिति इस तरह की प्रैक्टिस के लिए खर्च या फीस नहीं प्राप्त कर सकता, जिसका वह हकदार नहीं है।

(ग) यथास्थिति किसी भी विधि द्वारा अपेक्षित भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) द्वारा हस्ताक्षर या प्रमाणीकृत किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा या उसे प्रमाणीकृत नहीं करेगा।

अध्याय -5

अपराध और दंड

31. अनधिकृत व्यक्ति द्वारा पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा, लाइसेंस आदि जारी करना या प्रदान करना:-

- (i) इस अधिनियम के अंतर्गत, मान्यता प्राप्त और अधिकृत संस्थान के अलावा कोई व्यक्ति, यथास्थिति, कोई डिग्री, डिप्लोमा, लाइसेंस, प्रमाण पत्र या अन्य ऐसा कुछ, जिससे यह प्रतीति होती हो या ध्वनित होता हो कि इसका धारक या प्राप्तकर्ता भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) की चिकित्सा करने के योग्य है, को प्रदान, स्वीकृत या जारी नहीं कर सकता अथवा प्रदान करने, स्वीकृत करने या जारी करने के हकदार के रूप में स्वयं को प्रस्तुत नहीं कर सकता है।
- (ii) इस अधिनियम के अधीन, बनाए गए रजिस्टर में नामित भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) के अलावा कोई अन्य व्यक्ति चिकित्सा विज्ञान की भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) पद्धति का प्रैक्टिस नहीं कर सकता है।

32. धारा 31 की उपधारा-1 के प्रावधानों के उल्लंघन पर शास्ति:-

- (i) कोई भी व्यक्ति जो धारा 31 की उपधारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करनेवाली कोई संस्था है तो वह व्यक्ति या उस संस्था के मालिक या अध्यक्ष या संस्थान के प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों को जानबूझ कर उल्लंघन करने या उल्लंघन करने की अनुमति देता है, तो दोषसिद्धि पर वह शास्ति का भागी होगा -
- (क) पहली बार अपराध के लिए, 3 वर्षों तक का कारावास और जुर्माना जो 10 हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो बढ़कर 25 हजार रुपये तक हो सकता है; और
- (ख) दूसरे या अनुवर्ती अपराध के लिए कारावास जो 6 महीने से कम नहीं होगा किन्तु जो बढ़कर 5 वर्षों तक हो सकता है और जुर्माना जो 25 हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो 50 हजार रुपये तक हो सकता है।

परन्तु, यदि दोषसिद्धि के बाद भी उल्लंघन जारी रखा जाए, तो इस तरह के अपराध के लिये प्रत्येक दिन के लिए पाँच सौ रुपये तक का जुर्माना, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है, अधिरोपित किया जा सकता है।

- (ii) कोई व्यक्ति जो धारा 31 की उपधारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो सिद्धदोष के लिए दंडित किया जाएगा-

(क) पहली बार अपराध के लिए, किसी अवधि के लिए कारावास, जिसे 3 वर्षों तक के लिये बढ़ाया जा सकता है और न्यूनतम 5 हजार एवं अधिकतम 10 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है; और

(ख) दूसरे या अनुवर्ती अपराध के लिए, सजा के तौर पर कारावास, जिसे 7 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और 25 हजार रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।

परन्तु, यदि दोषसिद्धी के बाद भी उल्लंघन जारी रखा जाए, तो इस तरह के अपराध के लिये प्रत्येक दिन के लिए पाँच सौ तक का बढ़ा हुआ जुर्माना लगाया जा सकता है।

33. अपराध का संज्ञान:-

- (1) धारा 32 के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।
- (2) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुये भी, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिये संज्ञान नहीं ले सकता, जबतक कि इस अधिनियम के अधीन परिषद् की ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से शिकायत न की जाय।

34. उपाधि का दुरुपयोग:-यदि कोई व्यक्ति पंजीकृत चिकित्सक नहीं है और भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) या भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) या भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा हो या कोई व्यक्ति मान्यता प्राप्त भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) की योग्यता नहीं रखता हो और ऐसी डिग्री या डिप्लोमा या भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) की उपाधि का उपयोग कर रहा हो, तो वह सिद्धदोष पर दंडित होगा -

- (क) पहली बार अपराध के लिए 5 हजार रूपए तक का जुर्माना हो सकता है; और
- (ख) दूसरे या अनुवर्ती अपराध के लिए, 1 वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है या 10 हजार रूपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

35. पंजीकरण प्रमाण पत्र के समर्पण में विफलता:-यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया हो, अपने पंजीकरण या पंजीयण नवीनीकरण के प्रमाण पत्र या दोनों को तत्काल बिना पर्याप्त कारण के अभ्यर्पित करने में विफल हो जाता है, तो वह दोषसिद्ध होगा, और ऐसी विफलता पर सजा के रूप में प्रति माह 500 रु. तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

अध्याय -6

प्रकीर्ण/विविध

36. सरकार द्वारा निदेश:-

- (1) परिषद् इस अधिनियम के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करेगी।
- (2) अपने प्राधिकरण के उपयोग के संबंध में और इस अधिनियम के अधीन अपने प्राधिकार के प्रयोग तथा परिषद् द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के संबंध में यदि परिषद् और राज्य सरकार के बीच किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है, तो इस तरह के विवाद में राज्य सरकार का फैसला अंतिम होगा।

37. परिषद् को अधिक्रमित करने का अधिकार:-

- (1) यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि परिषद या इसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में निरंतर असफल रहें हैं या इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों दुरुपयोग या अतिक्रमण किया गया है या बिना किसी पर्याप्त कारण के या जानबूझ कर राज्य सरकार द्वारा धारा 35 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहा है तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परिषद को अधिक्रमित कर सकती है।

परन्तु, इस उप-धारा के अधीन अधिसूचना जारी करने से पहले, सरकार परिषद को युक्तियुक्त समय देते हुए कारण पृच्छा नोटिस जारी करेगी कि क्यों नहीं उसे अधिक्रमित किया जाए और परिषद् के स्पष्टीकरण और आपश्चियाँ, यदि कोई हो, पर विचार करेगी।

- (2) उपधारा (1) के तहत परिषद के अधिक्रमण की अधिसूचना प्रकाशित करते समय,
- (क) अधिक्रमण की तिथि को, कार्यकाल समाप्त नहीं होने के बावजूद, परिषद के सभी सदस्यों को कार्यालय खाली करना होगा;
- (ख) परिषद के अधिक्रमण की अवधि के दौरान, परिषद के द्वारा या परिषद की ओर से इस अधिनियम के प्रावधानों के द्वारा या इनके तहत उपयोग किए जाने वाले सभी अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग, राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निदेशित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा;
- (ग) परिषद में निहित सभी संपत्ति, अधिक्रमण की अवधि के दौरान राज्य सरकार में निहित होगी।
- (3) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में राज्य सरकार-
- (क) अधिक्रमण की अवधि को यथावश्यक अवधि के लिए बढ़ा सकती है, परंतु यह अवधि कुल दो वर्षों से अधिक की नहीं होगी; या
- (ख) विहित रीति से नए परिषद् के गठन के लिए कार्रवाई कर सकती है।

38. सद्भावपूर्ण की गई कार्रवाई का संरक्षण:-

इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्ण की गई किसी कार्रवाई के लिये राज्य सरकार, परिषद, इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव या यथापूर्वोक्त परिषद अथवा सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

39. नियम बनाने का अधिकार:-

- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और विगत प्रकाशन की स्थिति के अनुसार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से आवश्यक या अनुमत मामलों को या किसी मामले को विहित करने के लिए नियम बना सकेगी।

- (2) इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, विधानसभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में, अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात यह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

40. विनियम बनाने का अधिकार:-

- (1) परिषद, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सामान्यतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए तथा इसके अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों से अनसंगत सामर्थ्यकारी विनियम बना सकेगी।
- (2) विशेष रूप से, और बिना किसी पूर्वाग्रह के पूर्वगामी शक्तियों को व्यापकता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसी भी या सभी मामलों के लिए विनियम बना सकेगी, यथा-

(क) परिषद की संपत्ति का प्रबंधन।

(ख) परिषद के खातों की संपरीक्षा और अनुरक्षण।

(ग) भौतिक चिकित्सकों (फिजियोथेरेपिस्ट) का पंजीकरण।

(घ) परिषद और इसकी समितियों के पेशेवर लेनदेन की प्रक्रिया के नियम।

(ङ) समिति के गठन की प्रक्रिया, इसके कार्य और कर्तव्य।

(च) निरीक्षकों की अर्हता तथा नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उनके कृत्य और कर्तव्य।

(छ) किसी भी विश्वविद्यालय या किसी संस्थान द्वारा भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) की मान्यता प्राप्त उपाधि प्राप्त करने के लिए परीक्षा के विषयों और कुशलता के मानकों, अध्ययन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम और अवधि।

(ज) भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) के अध्ययन या प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों, उपकरणों, आवास, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं के लिए मानक, परीक्षाओं के संचालन, परीक्षकों की योग्यता और ऐसी परीक्षाओं में प्रवेश की शर्तें।

(झ) धारा 25 के अधीन भौतिक चिकित्सकों (फिजियोथेरेपिस्ट) द्वारा पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक तथा आचार संहिता का अनुपालन।

(ञ) धारा 29 के अधीन विहित रीति और शर्तों के अधीन, किसी अपील को प्राथमिकता।

- (ट) इस अधिनियम के अधीन किसी आवेदन और अपील के लिए ली जानेवाली फीस।
- (ठ) कोई अन्य मामला जो इस विनियम द्वारा बनाया गया हो या बनाया जायेगा।
- (3) सरकार अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन किसी भी विनियम को विखंडित या परिवर्तित कर सकती है और तब विनियम प्रभावहीन हो जाएगा या उसमें तदनुसार संशोधन किया जाएगा।

41. कठिनाईयों को दूर करने का अधिकार:-

- (1) इन नियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में आदेश जारी कर इन नियमों से अनसंगत ऐसा उपबंध कर सकती है, जो कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक प्रतीत हो।

परन्तु, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्षों की अवधि अवसान के बाद इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

- (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के तुरत बाद राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

नोट:- इस अधिनियम की प्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में भिन्नता की स्थिति में अधिनियम की अंग्रेजी प्रति ही मान्य होगी।

अनुसूची- (I)
(खंड 17 देखें)

राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात, संस्थाओं के नाम अनुसूची-;पद्ध में समावेशित किये जायेंगे।

अनुसूची- (II)
(खंड 17 देखें)

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

03 दिसम्बर, 2020

संख्या-एल0जी0-02/2020-388/लेज0-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीया राज्यपाल द्वारा दिनांक-19/11/2020 को अनुमत झारखण्ड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजिओथेरेपी) परिषद् अधिनियम , 2020 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

THE JHARKHAND STATE COUNCIL FOR PHYSIOTHERAPY ACT, 2020

(Jharkhand Act, 09, 2020)

Physiotherapy is an important part of modern health care system. Patient treatment done by a physiotherapist only by physical means such as ultrasound therapy, heat, laser and exercises.

Physiotherapy and rehabilitation done by a physiotherapist in Polio hospitals, leprosy unit hospitals, T.B. hospitals, districts hospitals. Physiotherapy and rehabilitation done independently by a Physiotherapist in many hospitals ICU for admitted patients as well as physically/mentally challenged patients.

Orthopaedic problems, Leprosy, T.B, Polio, Stroke, and many other Non-Communicable Diseases (NCD) treatments done by Physiotherapy. One can not imagine an ICU set up in a hospital without a Physiotherapist.

Physiotherapy education requires a 4 ½ years of study for bachelor degree and 02 years study for masters degree in many specialization like :-

1. Orthopedic Physiotherapy , 2. Neurological Physiotherapy(Stroke), 3. Cardio-pulmonary Physiotherapy (ICU), 4. Sports Physiotherapy, 5. Gynecological Physiotherapy, 6. Urological Physiotherapy, 7. Community Based Physiotherapy, 8. Hand Physiotherapy, 9. Pediatric Physiotherapy, 10. Geriatric Physiotherapy.

There is no any regulatory body to regulate physiotherapy profession in the state. Therefore:-

An Act to provide for the establishment of the Jharkhand Council for the purpose of coordination and determination of standards of education and of practice in the field of physiotherapy, and for the maintenance of a register of physiotherapists and to curb the fake physiotherapy clinics/centres and physiotherapists in the state, and for matters connected therewith or incidental thereto.

THE JHARKHAND STATE COUNCIL FOR PHYSIOTHERAPY ACT, 2020**CHAPTER-I**
PRELIMINARY

1. Short, Title, Extent and Commencement
2. Definitions

CHAPTER-II
CONSTITUTION OF THE COUNCIL

3. Constitution and incorporation of a Council
4. Term of Office
5. Casual Vacancies
6. Resignation
7. Disqualification
8. Meetings of Council
9. Proceedings of meetings
10. Executive Committee and other Committees
11. Equivalence and Registration Committee
12. Fees and allowances to members of Council, Executive Committee and Equivalent and Registration Committee.
13. Income and Expenditure of Council
14. Appointment of Registration, his duties and functions
15. Other employees of the Council

CHAPTER-III
FUNCTIONS OF THE COUNCIL

16. Powers, duties and functions of the council
17. Permission for establishment of new institution, new course of study etc.
18. Non-recognition of qualification in certain cases
19. Time for seeking permission for certain existing institutions.
20. Recognition of qualifications granted by Universities etc. in India or abroad physiotherapy professionals.
21. Effect of recognition
22. Power to require information as to courses of study training and examination.
23. Inspector
24. Withdrawal of recognition
25. Professional conduct
26. Information to be furnished

CHAPTER-IV
PREPARATION AND MAINTENANCE OF REGISTER

27. Preparation of Register
28. Removal of names from Register
29. Appeal against order of removal of names from the register
30. Rights and privileges of the registered members

CHAPTER-V
OFFENCES OF PENALTY

31. Conferring granting or issuing post-graduate diploma, license etc. by unauthorized person or institution
32. Penalty for act in contravention of provisions of sub section 1 of section 31
33. Cognizance of offence
34. Misuse of title
35. Failure of surrender certificate of resignation

CHAPTER-VI
MISCEANEOUS

36. Direction by Government
37. Power to supersede council
38. Protection of action taken in good faith
39. Power to make rules
40. Power to make regulation
41. Power to remove difficulties

CHAPTER- 1
PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement.**

- (1) This Act may be called the Jharkhand State Council of Physiotherapy Act, 2020.
- (2) It extends to the whole of the state of Jharkhand.
- (3) It shall come into force on the date of notification in the official Gazette.

2. **Definitions -** In this Bill, unless the context otherwise requires;-

- (a) "**Appointed Day**" means the date on which the provisions of this Act come into force under sub-section (3) of section 1;
- (b) "**Council**" means the Jharkhand State Council of Physiotherapy constituted under section 3;
- (c) "**Government**" or "**State Government**" means the Government of Jharkhand;
- (d) "**Inspector**" means an Inspector appointed by the Council under section 23;
- (e) "**Member**" means a member of the Council;
- (f) "**Physiotherapist**" means a person who possesses physiotherapy qualification obtained from a recognized institution specified in Schedule II and whose name has been enrolled in the Register of Physiotherapists;
- (g) "**Physiotherapy**" means a branch of modern medical science which includes examination, assessment, screening, interpretation, physical diagnosis, investigation, planning and execution of treatment and advice to any person for the purpose of preventing, correcting, alleviating and limiting dysfunction, acute and chronic bodily malfunction including life saving measures via chest physiotherapy in the intensive care units, curing physical disorders or disability promoting physical fitness, facilitating healing and pain relief and treatment of physical and psychosomatic disorders through modulating physiological and physical response using physical agents, activities and devices including exercises, mobilisation, manipulations, therapeutic ultrasound, laser, electrical and thermal agents and electrotherapy for diagnosis, treatment and prevention;
- (h) "**Prescribed**" means prescribed by rules made under this Act;
- (i) "**President**" means the President of the Council;
- (j) "**Profession**" means the profession of physiotherapy;
- (k) "**Institution**" means any institution recognized by the State Government or the Council, within or outside India, which grants Graduate Degree, Post Graduation Degree or Ph. D in Physiotherapy, as the case may be;
- (l) "**Recognized Institution**" means an institution specified in Schedule I which grants qualification in physiotherapy;
- (m) "**Recognized Physiotherapy Qualification**" means qualification in physiotherapy, obtained from recognized institution of Physiotherapy registered in Schedule I
- (n) "**Register**" means the Register of Physiotherapists, prepared and maintained by the Council under this Act;
- (o) "**Registered Practitioner**" means an physiotherapist, whose name is entered and continues to remain on the register of the Council;
- (p) "**Registrar**" means the Registrar appointed under section 14.

- (q) “**Regulation**” means the regulations made by the Council under section 40
- (r) “**Rules**” means rules made, under this Act;
- (s) “**Schedule**” means Schedule I regarding Schedule-II regarding Physiotherapy appended to this Act;
- (t) “**State**” means the State of Jharkhand;
- (u) “**Vice-President**” means the Vice-President of the Council.

CHAPTER II CONSTITUTION OF THE COUNCIL

3. **Constitution and incorporation of a Council:-** (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, as soon as may be, after the commencement of this Act, constitute a Council to be called the Jharkhand State Council for Physiotherapy.
- (2) The Council constituted under sub-section (1), shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal, with powers to acquire, hold or dispose of property, both movable and immovable, and to contract, and may sue or be sued by its corporate name.
- (3) The Council shall consist of the following members, namely:-
- (a) The Director, Health Services, Health Medical Education and Family Welfare Department, Jharkhand, *Ex-officio* member;
 - (b) The Director of Medical Education and Research, *Ex-officio* member;
 - (c) Four members from physiotherapists to be elected from amongst the registered practitioners enrolled in the Register of Physiotherapists:
 - (d) Two members from recognized Physiotherapy teaching institutions, holding teaching post, representing different University of Jharkhand, to be nominated by State Government;
 - (e) Two members from Civil Society /Non Government Organization working in the health sector to be nominated by State Government;

Provided that, the election of the members referred to in clause (c) shall be held at such time and at such place and in such manner as may be prescribed:

Provided further that, the first election for the election of the members referred to in clause (c) shall be held within a period of two years from the date of commencement of this Act;

Provided also that, pending the preparation of the registers in accordance with the provisions of this Act, for holding election of those registered members on coming into force of this Act, the members referred to in Clauses (c) may be nominated by the Government till the election and appointment of the elected members.

- (f) Two person from the field of Physiotherapy to be nominated by the Government.
 - (g) Two Physiotherapists from each of the recognised teaching institutions in the State, to be nominated by the Government.
 - (h) Registrar appointed under section 14 shall be the member-Secretary.
- 4) The President shall be elected by the members of the Council from amongst themselves.
 - 5) There shall be one Vice-President, elected by the members of the Council from amongst themselves.
 - 6) A person who holds or who has held, office as the President or Vice-President, as the case may be, shall subject to the other provisions of this Act, be eligible for re-election to that office.
 - 7) If at any election under Clause (c) of sub-section (3), the electors fail to elect the requisite number of members, the State Government shall nominate such registered practitioner or practitioners as it deems fit, to fill up the vacancy or vacancies; and the practitioners so nominated shall be deemed to have been duly elected under this section.
 - 8) Where any dispute arises regarding any election of a member or the President or the

Vice-President, it shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government shall be final.

4. Term of Office:-

- (1) The Government shall, by notification in the Official Gazette, publish the names of the members, both elected and nominated.
- (2) Save as otherwise provided by this Act, a member whether elected or nominated, shall hold office for a term of five years from the date of publication of the notification under sub-section (1).
- (3) Save as otherwise provided by this Act, the President and Vice-President shall hold the office from the date of their election, till the day on which their term of office as members expires.
- (4) The term of office of an outgoing member shall, notwithstanding anything contained in sub-section (2), be deemed to extend to and expire with, the day immediately preceding the day on which the names of the successor members are published under sub-section (1).
- (5) The term of office of an outgoing President or Vice-President shall, notwithstanding anything contained in sub-section (3), be deemed to extend to and expire with, the day immediately preceding the day on which the successor President or Vice-President, as the case may be, is elected.
- (6) An outgoing member shall be eligible for re-election or re-nomination.
- (7) Leave of absence may be granted by the Council to any member for a period not exceeding six months.

(5) Casual Vacancies:-

- (1) Any casual vacancy, before the expiry of the term of the office of the President or the Vice-President or of a member elected under Clause (c) of sub-section (3) of section 3, caused by reason of death, resignation, disqualification or disability or any other reason, shall be filled by Government by election:

Provided that, any such vacancy in the office of an elected member occurring within six months prior to the date on which the term of office of all the members expires, shall not be filled.

- (2) Any casual vacancy, previous to the expiry of the term in the office of a member nominated under Clauses (d), (e) and (f) of sub-section (3) of section 3 shall be reported forthwith by the Registrar to the State Government, and shall, as soon as possible thereafter, be filled by the State Government by nomination.
- (3) Any person elected under sub-section (1) or nominated under sub-section (2) to fill a casual vacancy shall, notwithstanding anything contained in section 4, hold office only so long as the person in whose place he is elected or nominated, would have held office, if the vacancy had not occurred.

(6) Resignation:-

- a. The President or Vice-President may, at any time, resign his office by a notice in writing addressed to the Council and delivered to the Registrar. The resignation shall take effect from the date on which it is accepted by the Council.
- b. An elected member may at any time resign his office by a notice in writing addressed to the President. A nominated member may at any time resign his office by a notice in writing

addressed to the Government. Every such resignation shall take effect from the date on which it is accented by the President or, as the case may be, the Government.

(7) Disqualification:-

- a. A person shall be disqualified for being elected or nominated as, and for continuing as, a member, if"
 - i. he is, or becomes of, unsound mind and stands so declared by a competent Court; or
 - ii. he is, or has been, convicted of any offence involving moral turpitude, which, in the opinion of the Government renders him unfit to be a members of the Council; or
 - iii. he is, or at any time has been, adjudicated as an un-discharged insolvent; or
 - iv. his name has been removed from the register and has not been re-entered therein; or
 - v. he is a whole-time officer or servant of the Council.
- (2) If any member absents himself from three consecutive meetings of the Council, without leave of the Council, granted under sub-section (7) of section 4 or without such reason as may, in the opinion of the Council, be sufficient, the Council may declare his seat vacant and take steps to fill the vacancy.
- (3) If any member becomes or is found to be subject to any of the disqualifications mentioned in sub-section (1), the Council shall submit a report to the Government, and the Government, if satisfied about the disqualification, shall declare his seat vacant.

(8) Meetings of Council:-

- (1) The meetings of the Council shall be convened in every six months, held and conducted in such manner as may be prescribed.
Provided that the first meeting of the council shall be held at such time and place as may be appointed by the President.
- (2) The President, when present, shall preside at every meeting of the Council. If at any meeting the President is absent, the Vice-President, and in absence of the President and the Vice -Presidents, some other member elected by the members present from amongst themselves, shall preside at such meeting:
- (3) All questions at a meeting of the Council shall be decided by a majority of votes.
- (4) The presiding authority at a meeting of the Council shall have and exercise a second or a casting vote, in case of an equality of votes.
- (5) One Third member of the total members of the council shall constitute a quorum. When there is no quorum at a meeting, the Presiding Authority shall, after waiting for not less than thirty minutes for such quorum, adjourn the meeting to such hour on some future day as it may notify on the notice board at the office of the Council, and the business which would have been brought before the original meeting had there been a quorum thereat, shall be brought before the adjourned meeting, and may be disposed of at such meeting or any subsequent adjournment thereof, whether there be a quorum present, or not.
- (6) An extra-ordinary meeting of the council shall be convened if a requisition in writing by not less than one-fifth of the total member of the council is made to Secretary.

Provided that atleast seven clear days notice shall be given for convening such meeting.

(9) Proceedings of meetings:-

1. The proceedings of the discussion of every meeting of the Council shall be treated as confidential; and no person shall, without the previous resolution of the Council, disclose any proceedings thereof:

Provided that, nothing in this section shall be deemed to prohibit any person from disclosing or publishing the text of any resolution adopted by the Council, unless the Council directs such resolution also to be treated as confidential.

2. No act or proceeding of the Council shall be invalid merely by reason of-
 - (a) any vacancy in or any defect, in, the constitution of the Council; or
 - (b) any defect in the election or nomination of a person as a member of the Council; and
 - (c) any irregularity in the procedure of the Council not affecting the merits of the case.
3. During any vacancy in the Council, the continuing members may act, as if no vacancy had occurred:

10. Executive Committee and other Committees:-

- (1) The Council shall, as soon as may be, constitute from amongst its members as provided in sub-section (2), an Executive Committee and other Committees for such general or special purposes and for such tenure as the Council considers necessary for carrying out its functions under this Act.
- (2) The Executive Committee shall consist of the following members, namely:-
 - (a) The President of the Council.
 - (b) The Vice-President of the Council.
 - (c) Two members of the Council representing Physiotherapists, to be nominated by the President of the Council;
 - (d) The Director of Health Services of the Government or his nominee;
- (3) The President and the Vice-President of the Council shall be the Chairman and Vice-Chairmen, respectively, of the Executive Committee.
- (4) A member of the Executive Committee shall hold office until the expiry of his term of office as a member of the Council and he shall be eligible for re-nomination.
- (5) A member may resign his membership of the Committee by writing under his hand addressed to the President of the committee and the vacancy shall be filled in the same manner as provided in sub-section (2) of section 5.
- (6) The Executive Committee shall exercise and discharge such powers and duties as may be prescribed.

11. Equivalence and Registration Committee :-

- (1) There shall be an Equivalence and Registration Committee for the purpose of recommending the recognition of degrees granted by institutions imparting training in Physiotherapy and to consider matters relating to registration of Physiotherapists. The recommendations of this committee shall be subject to approval by the Executive committee and the Council, unless otherwise provided in this Act.
- (2) The Vice-President shall be Chairman of such committee. There shall be five other members nominated by the President of the Council from amongst the members of the Council, representing, educationists and specialists in different branches of Physiotherapy.

12. Fees and allowances to members of Council, Executive Committee and Equivalence and Registration Committee :-

Such fees and allowances for attendance at meetings, as prescribed from time to time, shall be paid to the President and Vice-President and other members of the Council, and to the members of its Executive Committee, and Equivalence and Registration Committees.

13. Income and Expenditure of Council:-

- (1) The income of the Council shall consists of-
 - i. Registration fees received from the practitioners;
 - ii. Grants received from the State Government, if any
 - iii. Registration fees received by the Council.
 - iv. Affiliation fees received from Physiotherapy Intuitions; and
 - v. Any other required fee decided by the council.

It shall be competent for the Council to incur expenditure for the following purposes, namely:-

- a) salaries and allowances of the Registrar and the staff maintained by the Council;
- b) fees and allowances paid to the members of the Council and the Executive Committee;
- c) remuneration paid to the assessors; and
- d) such other expenses as are necessary for performing duties and discharging the functions under this Act.

3. The Jharkhand State Council for Physiotherapy shall be a self financed organization.

14. Appointment of Registrar, his duties and functions:-

- (1) The Council shall, with the previous sanction of the State Government, appoint a Registrar, who shall the qualify Physiotherapists.
- (2) The Executive Committee may, from time to time, grant leave to the Registrar:

Provided that, if the period of leave does not exceed one month, the leave may be granted by the President.

- (3) During any temporary vacancy in the office of the Registrar, due to leave or any other reason. Non-availability of Registrar, the Executive Committee may, with the previous sanction of the Government, appoint any other person to act in his place, and any person so appointed shall, for the period of such appointment, be deemed to be the Registrar for the purposes of this Act:

Provided that, when the period of such vacancy does not exceed one month, the appointment may be made by the President, who shall forthwith report such appointment to the Executive Committee, and the Government.

- (4) The Council may, with the previous sanction of the Government, suspend, dismiss or remove any person appointed as the Registrar, or impose any other penalty upon him;

Provided that, before passing any order under this sub-section, the Registrar shall be given reasonable opportunity of being heard by the Council.

- (5) Save as otherwise provided by this Act, the salary and allowances and other conditions of service of the Registrar shall be such as may be prescribed.
- (6) The Registrar shall be the ex officio Secretary and the Executive Officer of the Council. He shall attend all meeting of the Council, and of its Executive Committee and Equivalence and Registration Committee and shall keep minutes of the meetings and names of members present and of the proceedings of such meetings.
- (7) The accounts of the Council shall be kept by the Registrar, in the prescribed manner.
- (8) The Registrar shall have such supervisory powers over the staff as may be prescribed, and may perform such other duties and discharge such other functions as may be specified in this Act, or as may be prescribed.
- (9) The Registrar appointed under this section shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 (45 of 1860), of the IPC.

15. Other employees of the Council:-

- (1) The Council may appoint such officers and servants, as it may deem necessary for performing its duties and discharging its functions under this Act:

Provided that, the number and designation of such officers and servants and their salaries and allowances shall be determined by the Council, with the previous sanction of the Government.

- (2) The other conditions of service of the officers and servants of the Council shall be such as may be prescribed.
- (3) Officers and servants of the Council appointed under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 (45 of 1860), of the Indian Penal Code and governed by Jharkhand Civil Services Rules.

CHAPTER III FUNCTIONS OF THE COUNCIL

16. Powers, duties and functions of the Council:- Subjects to such conditions as may be prescribed by or under the provisions of this Act, the powers, duties and functions of the Council shall be –

- (a) to determine and co-ordinate the standards of physiotherapy education at all levels;
- (b) to recommend to the Government, the grant of permission to open new institutions or to open new courses of study or, training, under section 17;
- (c) to maintain the registers, and to provide for the registration of physiotherapists in

the State;

- (d) to prescribe a code of ethics for regulating the professional conduct of practitioners in physiotherapy;
- (e) to advise the Government in matters relating to the requirement of manpower in the field of physiotherapy;
- (f) to hear and decide appeals from any decision of the Registrar;
- (g) to reprimand a practitioner, or to suspend or to remove him from the register, or to take such other disciplinary action against him as may, in the opinion of the Council, be necessary or expedient; and
- (h) to hold elections before the expiry of the term of office of the members of the Council or in any case within a period of six months after the date of expiry of such term;
- (i) to exercise such power, perform such other duties and discharge such other functions, as are laid down in this Act, or as may be prescribed.

17. Permission for establishment of new institutions, new course of study, etc.:-

(1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, with effect from such date as may be notified by the State Government :

(a) no person shall establish an institution; or

(b) no institution shall,

- (i) open a new or higher course of study or training (including a postgraduate course of study or training) which would enable a student or such course or training to qualify himself for the award of any recognised physiotherapy qualification; or
- (ii) increase its admission capacity in any course of study or training (including a post-graduate course of study or training), except with the previous permission of the State Government obtained in accordance with the provisions of this section.

Explanation-I- For the purposes of this section, "person" shall include any University or a trust or a society or an institution but shall not include the Central Government or the State Government.

Explanation-II- For the purposes of this section, "admission capacity", in relation to any course of study or training (including post-graduate course of study or training) in an institution, means the maximum number of students that may be fixed by the Government from time to time, for being admitted to such course or training.

- (2) (a) Every person or institution shall, for the purpose of obtaining permission under sub-section (1), submit to the State Government a scheme;
- (b) On receipt of such application the State Government shall, refer the scheme to the Council for its recommendations.
- (3) On receipt of a scheme by the Council under sub-section (2), the Council may obtain such other particulars, as may be considered necessary by it, from the person or the institution concerned, and thereafter, it may,"
 - (a) if the scheme is defective and does not contain any necessary particulars, give a

reasonable opportunity to the person or institution concerned for making a written representation and it shall be open to such person or institution to rectify the defects, if any, specified by the Council;

- (b) consider the scheme having regard to the factors referred to in sub-section (5), and submit the scheme together with its recommendations thereon to the State Government.
- (4) The State Government may, after considering the scheme and the recommendations of the Council under sub-section (3), and after obtaining, where necessary, such other particulars as may be considered necessary by it from the person or an institution concerned, and having regard to the factors referred to in sub-section (5), may approve (with such conditions, if any, as it may consider necessary), the scheme. The approval granted shall be deemed to be permission under sub-section (1).

In case of disapproval of the scheme, the reasons for such disapproval shall be recorded in writing and such decision with such reasons shall be conveyed to the applicant:

Provided that, the applicant may represent to the Government with clarifications for the objections raised by the Government and Government may, after considering those clarifications, grant the permission:

Provided further that, nothing in this sub-section shall prevent any person or an institution, whose scheme has not been approved by the State Government, to submit a fresh scheme and the provisions of this section shall apply to such scheme, as if, such scheme has been submitted for the first time under sub-section (2).

- (5) The Council, while making its recommendations under Clause (b) of subsection (3) and the State Government while passing an order, either approving or disapproving the scheme under sub-section (4), shall have due regard to the following factors, namely :
- (a) whether the proposed institution or the existing institution seeking to open a new or higher course of study or training, would be in a position to offer the minimum standard of education as prescribed by the Council under section 16;
- (b) whether the person seeking to establish an institution or the existing institution seeking to open an new or higher course of study or training or to increase its admission capacity has adequate financial resources;
- (c) whether necessary facilities in respect of staff, equipment, accommodation, training and other facilities to ensure proper functioning of the institution or conducting the new course of study or training or accommodating the increased admission capacity have been provided or would be provided within the time limit specified in the scheme;
- (d) whether any arrangement has been made or programme drawn to impart training to students likely to attend such institution or course of study or training by persons having the recognised physiotherapy qualification, as the case may be;
- (e) whether necessary arrangement has been made or programme drawn to meet the requirement of manpower in the field of practice of physiotherapy, as the case may be; and
- (f) any other factors as may be prescribed.
- (6) Where the State Government passes an order either approving or disapproving a scheme under this section, a copy of the order shall be communicated to the person or the

institution concerned.

- (7) After approval of the scheme by the State Government, the name of the institution shall be included in Schedule I, or as the case may be, in Schedule II.

18. Non-recognition of qualifications in certain cases :-

- (1) Where after the coming into force of the Act, any institution is established without obtaining the previous permission of the State Government as provided under section 17, no physiotherapy qualification granted to any student of such institution shall be a recognized qualification for the purposes of this Act.
- (2) Where any institution opens a new or higher course of study or training (including a post-graduate course of study or training) without the previous permission of the State Government as provided under section 17, no qualification granted to any student of such institution on the basis of such study or training shall be recognized qualification for the purposes of this Act.
- (3) Where any institution increases its admission capacity in any course of study or training without the previous permission of the State Government as provided under section 17, physiotherapy, qualification granted to any student of such institution on the basis of the increase in its admission capacity shall be a recognised physiotherapy qualification for the purposes of this Act.

Explanation.- for the purpose of this section, the criteria for identifying a student who has been granted a physiotherapy qualification on the basis of such unauthorised increase in the admission capacity shall be such as may be prescribed.

19. Time for seeking permission for certain existing institutions :-

- (1) Any person who has established an institution before the date of coming into force of this Act, shall seek, within a period of six months from the said date, the permission of the State Government, as provided in section 17.
- (2) If such person fails to seek the permission under sub-section (1), the provisions of section 18 shall apply, so far as may be, as if, permission of the State Government under section 17 has been refused.

20. Recognition of qualifications granted by Universities, etc., in India or abroad physiotherapy professionals:-

- (1) Any University or other institution in India, which grants qualifications in Physiotherapy and the name of which University or, as the case may be, institutions is not included in the Schedules, may apply to the State Government as provided under sub-section 19(1) to have their names included in the schedules and the State Government, after consulting the Council, may, by notification in the *Official Gazette*, amend the schedule so as to include the names of the University or institutions in the relevant schedule and any such notification may also direct that an entry shall be made in the last column of the relevant schedule against the name of such University or institution declaring that it shall be a recognised University or institution, as the case may be, for the purpose of this Act, only after a specified date.
- (2) The qualifications, granted by any University or other institution in India, specified in Schedule I relating to specified in Schedule II relating to Physiotherapy shall be recognised qualifications for the Physiotherapists for the purposes of this Act.

21. **Effect of recognition:-**

- (1) (a) Any qualification in Physiotherapy granted by a University or an institution included in Schedule I and Schedule II, respectively, shall be sufficient qualification for enrolment in the register of Physiotherapists, as the case may be;
- (b) No person shall, after the date of commencement of this Act, be entitled to be enrolled in the register as a physiotherapist unless he holds a recognised qualification: Provided that, in case of a dispute as to whether a person is entitled to be enrolled, the matter shall be referred to the respective equivalence and Registration Committee which shall consider the reference and make recommendations to the executive Committee whose decision shall be final,
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),-
 - (a) a citizen of India holding a qualification which entitles him to be registered with any Council of Physiotherapy in any foreign country, recognised by the Government of that country may, with the approval of the Council, be enrolled temporarily as the case may be, physiotherapist, in the Register till the said qualification is included in the respective schedule.
 - (b) a person not being a citizen of India who is employed as a physiotherapy teacher in any hospital or institution in India where such hospital or institution is recognised by the Government of the concerned State or Union Territory, for the purpose of teaching, research or charitable work, may, with the approval of the President of the Council, be enrolled temporarily in the Register, for such period as may be specified in this behalf, in the order issued by the President:

Provided that, such person shall not be allowed to practise as a general physiotherapist and such teaching or work shall be limited to the hospital or institution to which he is attached:

Provided further *that*, no such enrolment under Clause (a) shall be permitted unless the Council satisfies itself that such person possesses the requisite knowledge and skill to practise physiotherapy by conducting a screening test or such other test or examination as may be prescribed.

22. **Power to require information as to courses of study and training and examination:-**

Every authority or institution or University in Jharkhand which grants any recognized qualification, or a recognized higher qualification shall furnish such details and information as the Council may, from time to time, require as to the courses of study and training and examinations to be undergone in order to obtain such qualification, and generally as to the requisites for obtaining such qualification.

23. **Inspector:-**

- (1) The Executive Committee may subject to the regulations, if any, framed in this behalf, appoint such number of Inspectors as it deems necessary to inspect any institution where education or training in physiotherapy is imparted, and attend any examinations held for the purpose of granting any recognized qualification or recognised higher qualification.
- (2) The Inspectors appointed under this section shall not interfere with the course of any examinations but they shall report to the Executive Committee on the suitability of the institution for the purposes of training and on the adequacy of the training therein, or as the case may be, on the sufficiency of the standard of examinations, and on any other matters

with regard to which Executive Committee may require them to report.

- (3) The Executive Committee, after consulting the respective Equivalence and Registration Committee, shall forward a copy of such report to the authority or institution concerned and shall also forward copies with the remarks, if any, of the authority or institution concerned thereon, to the State Government and the Council.

24. **Withdrawal of recognition:-**

- (1) When upon the report by the Executive Committee, it appears to the Council that, -
 - (a) the courses of study, training and examinations to be undergone to obtain a recognized qualification from any University or institution in the State or the conditions for admission to such courses or the standards of proficiency required from candidates at such examinations;
 - (b) the staff, equipment, accommodation, training and other training provided in such University or Institution; are not in conformity with the regulations made under the Act or fall short of the standard prescribed by the Council, the Council shall make a representation to that effect to the State Government. After considering such representation, the State Government shall forward it, alongwith such remarks, as it may think fit, to the University or institution concerned with an intimation of the period within which the University or institution may submit its explanation to the State Government.
- (2) On the receipt of the explanation or, where no explanation is submitted within the period fixed, then on the expiry of that period, the State Government may, after making such further inquiry, if any, as it may think fit, by notification in the Official Gazette, direct that an entry shall be made in the Schedule I or II, as the case may be, against the names of the said University or institution and the qualifications conferred by them declaring that the qualification conferred by the said University or institutions shall be a recognised qualification only when granted before a specified date.

25. **Professional conduct:-**

- (1) The Council may, with the previous approval of the State Government, by regulations, prescribe standards of professional conduct and etiquette and a code of ethics for physiotherapists.
- (2) Regulations made under sub-section (1) may specify which violations thereof shall constitute professional misconduct and such provision shall have effect notwithstanding anything contained in any law for the time being in force.
- (3) Whenever the Executive Committee, after such inquiry as it thinks fit, recommends that the name of any person enrolled in the register of occupational therapists or register of physiotherapists be removed there from due to professional misconduct, it shall accordingly report to the Council and the Council shall after such inquiry as it may deem fit, by order, direct the removal of the name of such person from the said register either permanently or for such period as may be specified in the order.
- (4) Any person aggrieved by an order of the Council may prefer an appeal against that order to the State Government in such form and manner, within such time, on such conditions and on payment of such fees as may be prescribed.
- (5) On receipt of such appeal, the State Government may, after giving the person concerned an opportunity of being heard and after consulting the Council, pass an appropriate order

which shall be final and binding.

26. **Information to be furnished:-** The Council shall furnish copies of its minutes, reports, abstracts of its accounts and other information to the State Government whenever called for.

CHAPTER IV

PREPARATION AND MAINTENANCE OF REGISTER

27. **Preparation of Register :-**

- (1) As soon as and may be after the appointed day, the Registrar shall prepare and maintain thereafter a register of physiotherapists and website of the council in the State of Jharkhand in accordance with the provisions of this Act.
- (2) The register shall be in such form, and may be divided into such parts, as may be prescribed. The register shall include the full name with (Dr.) prefix, address, date of birth and the qualifications of the registered physiotherapists, the date on which each qualification was obtained, and such other particulars as may be prescribed. Same will be on website of the council.
- (3) Any person who possesses the qualifications from the institutions specified in the Schedules and desires to continue his practise as physiotherapist shall, on an application made in the prescribed Form to the Registrar, and on payment of a fee of rupees five thousand to the Council and on presentation of his degree, diploma, licence or certificate, be entitled to have his name entered in the register for a period of five years from the date on which his name is entered in the register.
- (4) Every registered practitioner shall, on an application made in the prescribed Form to the Registrar and on payment of a fee of rupees two thousand five hundred to the Council be entitled to have his registration renewed for a further period of five years from the date on which his registration is issued or, as the case may be renewed;

Provided that, every renewal application shall be made at least three months before the expiry of the registration:

Provided further *that*, the application for renewal of registration made within a period of one month after the date of expiry of the registration may be renewed after charging additional late fee of rupees one thousand. The applications for renewal of registration received after one month from the date of expiry of the registration shall be treated as a fresh application under sub-section (3).

- (5) Every registered practitioner shall be given a certificate of registration or renewal of registration in the prescribed Form. The registered practitioner shall display the certificate of registration or renewal of registration in a conspicuous place in his dispensary, clinic or place of practice, and if he has more than one such place in any of them.
- (6) Where it is shown to the satisfaction of the Registrar that a certificate of registration or renewal of registration has been defaced, lost or destroyed, the Registrar may, on payment of rupees two thousand five hundred, issue a duplicate certificate in such Form as may be prescribed.
- (7) If He/She possesses membership of any other state council or abroad, He/She should give a no objection Certificate (NOC) from relevant Council.

28. **Removal of names from Register:-**

- (1) If a registered practitioner has been, after due inquiry held by the Council or by the Executive Committee in the prescribed manner, found guilty of any misconduct, the Council may,

- (a) issue a letter or warning to such practitioner, or
- (b) direct the name of such practitioner
 - (i) to be removed from the register for such period as may be specified in the direction; or
 - (ii) to be removed from the register permanently.

Explanation- For the purpose of this section, "misconduct" shall mean -

- (i) the conviction of a registered practitioner by a criminal Court for an offence which involves moral turpitude; or
 - (ii) the conviction under the Army Act, 1950 (46 of 1950), of a registered practitioner subject to military law for an offence which is cognizable within the meaning of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974); or
 - (iii) any conduct which, in the opinion of the Council, is infamous in relation to the medical profession particularly under any Code of Ethics prescribed by the Council constituted under this Act, in this behalf.
- (2) In holding any inquiry under sub-section (1), the Council or the Executive Committee, as the case may be, shall have the same powers as are vested in Civil Courts under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), when trying a suit, in respect of the following matters, namely:"
- (a) enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
 - (b) compelling the production of documents; and
 - (c) issuing of commissions for the examination of witnesses.
- (3) All inquiries under this section shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193, 219 and 228 (45 of 1860), of the Indian Penal Code.
- (4) (a) For the purpose of advising the Council or the Executive Committee, as the case may be, on any question of law arising in any inquiry under this section, there may in all such enquiries, be an assessor, who has been for not less than ten years"
- (i) an Advocate enrolled under the Advocates Act, 1961 (25 of 1961); or
 - (ii) an Attorney of a High Court.
- (b) Any assessor under this sub-section may be appointed either for general, enquiries or for any particular enquiry or class of enquiries, and shall be paid the prescribed remuneration.

29. **Appeal against order of removal of names from the register:-**

- (1) Where the name of any person has been removed from the Register on the ground of professional misconduct or any other ground except that he is not possessed of the requisite physiotherapy qualifications, he may appeal to the State Government in the prescribed manner with the prescribed fee, whose decision thereon shall be final.
- (2) No appeal under sub-section (1) shall be admitted if it is preferred after the expiry of a period of thirty days from the date of the order:

Provided that, an appeal may be admitted after the expiry of the said period of thirty days, if the applicant satisfies the Government that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the

said period.

30. **Rights and privileges of the registered members:-**

No person, other than a registered practitioner shall,-

- (a) hold office as occupational physiotherapist or any other office (by whatever designation called) in the State Government or in any institution maintained by a local or other authority;
- (b) practice physiotherapy as the case may be anywhere in the State of Jharkhand and recover in respect of such practice any expenses or fees to which he may be entitled;
- (c) be entitled to sign or authenticate any certificate required by any law to be signed or authenticated by an physiotherapist, as the case may be;

**CHAPTER V
OFFENCES AND PENALTY**

31. **Conferring, granting or issuing post-graduate diploma, license, etc. by unauthorized person or institution:-**

- (1) No person other than an institution recognized or authorized under this Act shall confer, grant or issue or hold himself out as entitled to confer, grant, or issue any degree, diploma, license, certificate or any other like award or which states or implies that the holder, grantee or recipient thereof is qualified to practice the physiotherapy, as the case may be.
- (2) No person other than a physiotherapist whose name is entered in the register prepared and maintained under this Act shall practise physiotherapy system of medical science.

32. **Penalty for act in contravention of provisions of sub section 1 of section 31:-**

- (1) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) of section 31, and if the person so contravening is an institution; the proprietor of the institute or the Chairperson and members of the Managing Board of the institute who, knowingly or willfully authorises or permits the contravention shall, on conviction, be punished or the trial offence will be done by competent court,-
 - (a) for the first offence, with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty-five thousand rupees; and
 - (b) for a second or subsequent offence, with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to five years and with fine which shall not be less than twenty-five thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees;

Provided that, when the contravention is continued after the order of conviction, a further fine which may extend to five hundred rupees, for each day of continuation of such contravention, may be imposed.

- (2) Any person who acts in contravention of the provisions of sub-section (2) of section 31, shall, on conviction, be punished,"
 - (a) for the first offence, with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to ten thousand rupees; and
 - (b) for a second or subsequent offence, with imprisonment for a term which may

extend to seven years and with fine which may extend to twenty-five thousand rupees;

Provided that, when the contravention is continued after the order of conviction, a further fine which may extend to five hundred rupees, for each day of continuation of such contravention, may be imposed.

33. Cognizance of offence:-

- (1) All offences under section 32 shall be cognizable and non-bailable.
- (2) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, no Court shall take cognizance of an offence punishable under this Act except upon a complaint, in writing, made by a person authorised in this behalf by the Council.

34. Misuse of the title:-

If any person not being a registered practitioner takes or uses the description of physiotherapy practitioner, physiotherapist or consultant in physiotherapy or not possessing a recognised physiotherapy qualification, uses a degree or a diploma or an abbreviation indicating or implying such physiotherapy qualification, shall, on conviction, be punished,"

- (a) for a first offence; with fine which may extend to five thousand rupees; and
- (b) for a subsequent offence with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.

35. Failure to surrender certificate of registration:-

If any person whose name has been removed from the register fails without sufficient cause, forthwith to surrender his certificate of registration or renewed certificate of registration or both, he shall, on conviction, be punished with fine which may extend to five hundred rupees per month of such failure.

CHAPTER VI MISCELLANEOUS

36. Directions by Government:-

- (1) The Council shall carry out such directions as may be issued from time to time, by the State Government, for the efficient administration of this Act.
- (2) If any dispute arises between the Council and the State Government, in connection with the exercise of its authority and in the discharge of its functions by the Council under this Act, the decision of the State Government on such dispute shall be final.

37. Power to supersede Council:-

- (1) If at any time it appears to the State Government that the Council or its President or Vice-President has failed to exercise, or has persistently made default in the performance of the duties imposed on it by or under this Act, or has exceeded or abused any of the powers conferred upon it or him by or under this Act, or has willfully or without sufficient cause failed to comply with any direction issued by the State Government under section 35, the State Government may, by notification in the Official Gazette, supersede the Council for such period as may be specified in the notification:

Provided that, before issuing a notification under this sub-section, the Government shall give a reasonable time to the Council to show cause why it should not be superseded and shall consider

the explanation and objections, if any, of the Council.

(2) Upon the publication of a notification under sub-section (1) superseding the Council,

- (a) all the members of the Council shall, notwithstanding that their term of office had not expired on the date of supersession, vacate their offices;
- (b) all the powers and duties which may, by or under the provision of this Act, be exercised or performed by or on behalf of the Council shall, during the period of supersession, be exercised and performed by such person or persons as the State Government may direct;
- (c) all property vested in the Council shall, during the period of supersession, vest in the State Government.

(3) On the expiration of the period of supersession specified in the notification issued under sub-section (1), the State Government may

- (a) extend the period of supersession for such further period as it may consider necessary but which period shall not in the aggregate be more than two years; or
- (b) take steps to constitute a new Council in the manner provided.

38. Protection of action taken in good faith:-

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government, the Council, President, Vice-President, Member, Secretary or any officer or other employee of the Council or of the Government as aforesaid for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act.

39. Power to make rules:-

- (1) The State Government may, by notification in the *Official Gazette*, and subject to the condition of previous publication, make rules to carry out the purposes of this Act. Such rules may be made to provide for all or any of the matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed by rules.
- (2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, both Houses agree in making any modification in rule or the House agree that the rule should not be made, and notify its decision to that effect in the *Official Gazette*, the rule shall from the date of publication of a notification in the *Official Gazette*, of such decision have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.

40. Power to make regulations:-

- (1) The Council may, with the previous sanction of the State Government, make regulations not inconsistent with this Act and the rules made there under, for enabling it to perform its functions under this Act and generally to carry out the purposes of this Act, by notification in the *Official Gazette*.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the forgoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the management of the property of the Council;
 - (b) the maintenance and audit of the accounts of the Council;
 - (c) the registration of Physiotherapists;
 - (d) the rules of procedure for the transaction of business of the Council and its committees;
 - (e) the procedure for appointing Committee, their functions and duties;
 - (f) the qualifications, procedure for appointment of Inspectors, their powers and duties;
 - (g) the courses and period of study or of training, to be undertaken, the subjects of examination and standards of proficiency therein to be obtained in any university or in any institution for grant of recognized physiotherapists qualification;
 - (h) the standards of staff, equipment, accommodation, training and other facilities for study or training of the physiotherapists; the conduct of examinations, qualifications of examiners and the conditions of the admission to such examinations;
 - (i) the standard of professional conduct and etiquette and code of ethics to be observed by physiotherapists professionals under section 25;
 - (j) the manner in which and the conditions subject to which an appeal may be preferred under section 29;
 - (k) the fees to be paid for applications and appeals under this Act;
 - (l) any other matter which is to be, or may be, made by regulation.
- (3) The Government may, by notification, rescind or modify any regulation made under this section and thereupon, the regulation shall cease to have effect or be modified accordingly.

41. Power to remove difficulties:-

- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the *Official Gazette*, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty:

Provided that, no order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

- (2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State legislature.

Note :-In case of variation in the English and Hindi version of the Act, the English version of the act shall be Valid.

SCHEDULE- I
(See Section 17)

SCHEDULE- II
(See Section 17)

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।
